मौलाना इदरीस अंसारी

मुसलमान ख़ाविन्द

ibsbookstore.com
IBS

"मर्द हाकिम हैं औरतों पर।"

मुसलमान ख़ाविंद

हर शादीशुदा मुसलमान के लिए इस किताब का पढ़ना फ़ायदे से खाली नहीं।

लेखक :

मौलाना मुहम्मद इदरीस अंसारी

इस्लामिक बुक सर्विस (प्रा०) लि०

मुसलमान ख़ाविंद

लेखक :
मौलाना मुहम्मद इदरीस अंसारी

ISBN 81-7231-644-5

प्रथम संस्करण : 1994
पुनः प्रकाशन : 2014

प्रकाशक :
इस्लामिक बुक सर्विस (प्रा॰) लि॰
1511-12, पटौदी हाउस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 (भारत)
फ़ोन : 011-23244556, 23253514, 23269050, 23286551
फ़ैक्स : 011-23277913 | e-mail : info@ibsbookstore.com
Website : www.ibsbookstore.com

OUR ASSOCIATES
- Angel Book House FZE, **Sharjah (U.A.E.)**
- Azhar Academy Ltd., **London (United Kingdom)**
- Lautan Lestari (Lestari Books), **Jakarta (Indonesia)**
- Husami Book Depot, **Hyderabad (India)**

Printed in India

विषय सूची

क्या ?	कहां ?

पहली बात

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल् करीमि० अम्मा बअ्दु, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने आखिरी हज के आखिरी खुत्बे में उम्मत को बहुत सी वसीयतें फ़रमायी थीं। उनमें एक वसीयत यह भी थी कि तुम लोग अपनी औरतों के हुक़ूक़ में कोई कमी न करना, लेकिन ज्यों ज्यों ज़माना प्यारे नबी सल्ल० से दूर होता गया, मज़हबी तौर पर हमारी तबाही-पस्ती बढ़ती ही चली गयी और हम इस्लाम के दावेदार होने के बावजूद इस्लामी क़ानून से दूर होते चले गये, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों को न अल्लाह के हुक़ूक़ का ख्याल रहा और न बंदों के हुक़ूक़ की परवाह रही :— तन हमा दाग़-दाग़ शुद पंबा कुजा-कुजा बहम

(हमारा सारा बदन दाग़-दाग़ हो गया, रुई कहां-कहां रखी जाए)

आज बेचारी औरतों को अपने अपढ़ मर्दों की तरफ़ से जो-जो दिल दहला देने वाले ज़ुल्म सहन करने पड़ते हैं, उसके नतीजे में देश की लाखों मज़्लूम औरतें या तो अपने मां-बाप के घर बैठ जाती हैं या ज़्यादा तंग होकर हज़ारों मुसलमान औरतें इस्लाम जैसा मज़हब छोड़ कर ईसाई मज़हब के दामन में पनाह लेती हैं और कुफ़्र के साथ हराम मौत मरती हैं, जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी उनके ख़ाविन्दों पर होती है, इस तरह हर शादी शुदा मुसलमान को इस तरफ़ ध्यान दिलाने के लिए यह किताब 'मुसलमान ख़ाविंद' लिखी गयी, ताकि इसको पढ़कर मुसलमान ख़ाविंद अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें।

हिंदी में भी इसके छापने का यही मक़्सद है।

अल्लाह तआला हमारी इस कोशिश को क़ुबूल फ़रमाये और अपने मक़्सद में कामियाब करे। आमीन।

—मुहम्मद इद्रीस अन्सारी

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बेहतरीन औरतें

१. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि० की रिवायत है, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, दुनिया की तमाम चीज़ें कुछ ही वक़्त तक फ़ायदा पहुंचाती हैं। और दुनिया की बेहतरीन फ़ायदा उठाने की चीज़ नेक औरत है कि नेक औरत का फ़ायदा अच्छा और हमेशा रहने वाला है। —मुस्लिम

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (مسلم)

२. हज़रत अबूहुरैरह कहते हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, औरत से निकाह करने में चार चीज़ें देखी जाती हैं : (१) मालदारी, (२) ख़ानदानी शराफ़त, (३) ख़ूबसूरती, (४) दीनदारी। लेकिन तुम को चाहिए कि दीनदार औरत तलाश करो। बुख़ारी व मुस्लिम

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (بخاری ومسلم)

क्योंकि दीनदार औरत ही सही मायने में मर्द के हुक़ूक़ अदा कर सकती है। ख़ूबसूरत औरत अपनी ख़ूबसूरती पर और ख़ानदानी औरत को अपने ख़ानदान पर, मालदार को अपनी मालदारी पर घमंड होता है, जो आपसी ताल्लुक़ात को नुक़सान पहुंचाने वाला होता है।

३. हज़रत अबूहुरैरह कहते हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने अरब की बेहतरीन औरतें क़ुरैश की नेक औरतें हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों पर, उनके बचपन में बहुत ज़्यादा मेहरबान होती हैं, और अपने शौहर के उस माल की, जो उनके क़ब्ज़े में होता है, बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करती हैं।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ (بخاری ومسلم)

यानी शौहर के माल को बेकार बर्बाद नहीं करतीं।

हदीस से मालूम हुआ कि जिस औरत में दो ख़ूबियां हों, वह तमाम औरतों से बेहतर है—(१) बच्चों पर मेहरबान रहे, उनकी परवरिश से उकताये नहीं, (२) शौहर का माल बर्बाद न करे, बल्कि पूरी एहतियात के साथ ख़र्च करे।

औरत मर्द के लिए आज़माइश है

४ हज़रत अबूहुरैरह से रिवायत है, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने दुनिया मीठी और हरी-भरी है। और अल्लाह ने इस दुनिया को तुम्हारे हवाले किया है, ताकि तुम्हारी आज़माइश करे कि तुम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हो, तो तुमको चाहिए कि उसको जायज़ तरीक़े पर इस्तेमाल करो इसी तरह औरत भी तुम्हारी

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ

आज़माइश की चीज़ है, तो तुमको चाहिए कि औरत को भी जायज़ तौर पर इस्तेमाल करो, क्योंकि बनी इस्राइल में सबसे पहला फ़ित्ना औरतों ही की वजह से पैदा हुआ था। —मुस्लिम

بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ کَانَتْ فِی النِّسَاءِ (رواه مسلم)

यानी उन्होंने अपनी औरतों को छोड़कर दूसरी औरतों से दिल लगाया और उनके साथ मुंह काला किया- और इसका क़िस्सा इस तरह है कि—

हज़रत मूसा अलै० जाबिर क़ौम वालों से जिहाद करने के लिए बनी इस्राईल को साथ लेकर कनआ़न पहुंचे तो बालम बिन वऊर की तद्बीर के मुताबिक़ उस क़ौम की ख़ूबसूरत नव-जवान लड़कियाँ हज़रत मूसा की फ़ौज में चली गईं। एक लड़की को बनी इस्राइल के एक सरदार ने देखा और देखते ही उस पर आशिक़ हो गया। उसका हाथ पकड़कर हज़रत मूसा की ख़िदमत में ले गया और कहा, क्या यह औरत मेरे लिए हराम है? हज़रत ने फ़र्माया, हाँ! इसके पास हरगिज़ मत जाना। उस सरदार ने कहा, तुम्हारी यह बात नहीं मानूँगा। फिर उस औरत को अपने डेरे में ले जाकर उससे बदकारी की। इस पर अल्लाह का ग़ज़ब जोशमें आया और आन की आन में बनी इस्राईल के ७० हज़ार आदमी हलाक हो गए, देखिए एक आदमी के ज़िना करने से कैसी तबाही आयी और हमारे कितने भाई, जो अपने घर की औरतों को छोड़ कर ग़ैर औरतों से मुँह काला करते हैं, फिर अपनी तबाही-बर्बादी की शिकायत करते हैं!

तीन आदमियों का अल्लाह ज़िम्मेदार

५. हज़रत अबूहुरैरह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया,

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رض قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَۃٌ حَقٌّ عَلَی اللّٰہِ عَوْنُھُمْ اَلْمُکَاتَبُ الَّذِیْ یُرِیْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاکِحُ الَّذِیْ یُرِیْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاھِدُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ۔

(رواہ الترمذی)

अल्लाह पर लाज़िम है कि वह तीन आदमियों की मदद करे, १. वह मुकातिब[1] जो अदा करने की नीयत रखता हो, २. वह निकाह करने वाला मर्द, जो उस निकाह करने के ज़रिये हरामकारी से बचना चाहता हो, ३. मजाहिद यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। —तिर्मिज़ी

निकाह करने वाले से मतलब उस आदमी से है जिसकी नीयत निकाह करने में यह हो कि परायी औरत पर नज़र नहीं डालूंगा उससे बदकारी नहीं करूँगा, बल्कि जायज़ तरीक़े से सिर्फ़ अपनी बीवी पर नज़र रखूँगा, उससे अपनी ज़रूरत पूरी करूँगा तो अल्लाह ऐसे लोगों की पूरी मदद करता है। फिर क्या कहना उसका जिसकी मदद अल्लाह अपने ज़िम्मे ले ले, फिर वह किस का मुहताज रहेगा।

लड़की के रिश्ते का मेयार

وَعَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَیْکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِیْنَہٗ وَخُلُقَہٗ فَزَوِّجُوْہُ اِنْ لَا تَفْعَلُوْہُ تَکُنْ فِتْنَۃٌ فِی الْاَرْضِ

६. फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने जब तुम्हारे पास किसी दीनदार और बा-अख़लाक़ लड़के का रिश्ता आये, तो तुम उस रिश्ते को क़ुबूल कर लो, वरना ज़मीन में फ़ित्ने और बड़े बड़े फ़साद ज़ाहिर होंगे। —तिर्मिज़ी

---

१. मुकातिब उस ग़ुलाम को कहते हैं, जिसकी आज़ाद करने के लिए लेन-देन की लिखा-पढ़ी हो गई हो और अब रक़म की अदायगी ही बाक़ी रह गई हो।

وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ (رواه الترمذی)

यानी अगर ऐसे लड़के से निकाह न करोगे, बल्कि मालदार जगह तलाश करोगे, तो ऐसी सूरत में बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के बिना शादी के रह जायेंगे, जिसकी वजह से दुनिया में ज़िना बढ़ जायेगी और वही नतीजा भुगतना होगा, जो हज़रत मूसा अलै० की क़ौम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आजकल ज़्यादातर मालदारी को देखा जाता है, जिसकी वजह से कुछ घरानों में बे-ज़बान लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं, और उनकी उम्र लाखों अरमानों के साथ मिट्टी में मिल जाती है, बहुत सी लड़कियां तंग आकर किसी के भी साथ भाग जाती हैं और मां-बाप की अच्छी तरह इज़्ज़त हो जाती है इसीलिए हज़रत इमाम मालिक रह० फ़र्माते हैं कि लड़के और लड़की में सिर्फ़ दीनदारी देखनी चाहिए, क़िस्मत में जो रोज़ी होगी, वही उसको मिलेगी। बहुत सी लड़कियां ग़रीब घर में गईं और उन्हें वह ऐश मिला, जो बयान के क़ाबिल नहीं और बहुत सी लड़कियां बादशाहों के यहां गईं, लेकिन अपनी तक़्दीर से एक-एक टुकड़े को मुहताज हो गईं।

मुहब्बत का सबसे बड़ा ज़रिया

७. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ि० कहते हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, मियां-बीवी में जिस तरह निकाह के ज़रिए मुहब्बत हो जाती है, ऐसी कोई मुहब्बत देखने में नहीं आयी। —अबूदाऊद

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ (ابوداؤد)

यानी जो आपसी मुहब्बत निकाह से पैदा होती है, उसकी कोई मिसाल नहीं और मुहब्बत की ख़ूबी यह है कि महबूब के मिलने में हर तरह की तकलीफ़ ख़ुशी के साथ बर्दाश्त हो जाती है तो अगर शौहर ग़रीब है, मान लीजिए, दोनों की तक़्दीर भी ख़राब है, तो भी औरत को चटनी-रोटी में वह लज़्ज़त मिलेगी जो अच्छे से अच्छे पकवानों में भी नहीं होती। तजुर्बा गवाह है कि दीनदार और अच्छे अख़लाक़ के शौहर जितनी मुहब्बत अपनी बीवी के साथ करते हैं, दूसरों को उसका दसवां हिस्सा भी नहीं मिलता। फिर तुम मालदार लड़कों की तलाश में लड़कियों की ज़िन्दगी क्यों ख़राब करते हो ?

बरकत वाला निकाह

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهٗ مَؤُنَةً۔

(رواہما البیہقی فی شعب الایمان)

८. हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने बहुत बड़ी बरकत वाला वह निकाह है, जो मेहनत में आसान हो।

यानी न उसके रिश्ते में ज़्यादा तकलीफ़ हो और न उसके ब्याह शादी में कोई बोझ हो। अब हमारे यहां रिश्ते में अड़ंगा लगाने में कोई कमी नहीं की जाती, दूसरे शादी-ब्याह में तो इतना बोझ डालते है कि बहुत से लोग अपनी जायदाद तक बेच करके शादी की बेकार रस्मों में ख़र्च करते हैं और लुट-लुटाकर फ़क़ीर हो जाते हैं, इसीलिए तो अब निकाहों में बरकत नहीं रही, क्योंकि जिस मामले में एक फ़रीक़ का भी दिल दुखा, देखा यही गया है कि वह मामला फलता-

फूलता नहीं, इसलिए हमको अपनी शादियों में बहुत ही ज़्यादा सादगी अख़्तियार करनी चाहिए, ताकि हमारे निकाहों में बरकत हो और उनका अंजाम अच्छा हो।

नेक बीवी की तारीफ़

९. हज़रत अबू उमामा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, मोमिन के लिए अल्लाह के तक़्वा (डर) के बाद नेक बीवी से ज़्यादा कोई चीज़ बेहतर नहीं, अगर यह मोमिन उसे कोई हुक्म देता है, वह उसे पूरा करती है और अगर उसको देखता है, तो उसको ख़ुश करती है। और उसको किसी बात पर क़सम देता है, तो पूरी करती है, चाहे वह औरत के नज़दीक अच्छी हो या बुरी, बहरहाल अपने शौहर की ख़्वाहिश को पूरा करती है। और शौहर की ग़ैरहाज़िरी में अपनी हिफ़ाज़त करती है और शौहर के माल में देख-भाल कर ख़र्च करती है और उसमें ख़ियानत नहीं करती। —इब्नेमाजा

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رض عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ یَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَی اللّٰهِ خَیْرًا لَّهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَیْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَیْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِیْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ۔ (ابن ماجه)

औरत की ये ख़ूबियां ऐसी हैं कि मर्द के लिए ऐसी बीवी का होना दुनिया में जन्नत हासिल कर लेने की तरह है। देखा, औरत की ये ख़ूबियां, जिस पर जितनी भी क़ुर्बान हों, थोड़ी हैं लेकिन आज

हम औरत में ये खूबियां देखना पसन्द करते हैं—

१. बस खूबसूरत हो, २. गाना जानती हो, ३. नाचने में माहिर हो, ४. बे-परदा घमने में झिझकती न हो, ५. हाथ में हाथ डालकर बाज़ारों और मैदानों-पार्कों में बे-तकल्लुफ़ चली जाती हो, चाहे कैरेक्टर कितना ही खराब हो। ऐसे मुसलमानों पर जितना भी अफ़सोस किया जाये, कम है।

बुरे ख़्याल से कैसे बचें ?

१०. हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं फ़र्माया अल्लाह के रसूलसल्ल० ने, औरत आती है शैतान की शक्ल में और जाती है शैतान की शक्ल में। जब तुमको कोई औरत अच्छी लगे और उसका ख्याल दिल में बैठ जाये, उसका इलाज यह है कि फ़ौरन अपनी बीवी के पास जाये और उससे सोहबत करे, क्योंकि यह सोहबत उसकी नफ़्सानी ख्वाहिश और दिल की बेकली को दूर करेगी।

—मुस्लिम

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِيْ قَلْبِهٖ فَلْيَعْمِدْ اِلٰى امْرَأَتِهٖ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِيْ نَفْسِهٖ ـ

यानी जिस तरह शैतान गुमराह करता है, उसी तपह अजनबी औरत का देखना भी बिगाड़ और गुमराही की वजह बनता है। इसलिए क़ुरआन मजीद में उन मर्दों-औरतों की तारीफ़ की गई, जो अपनी निगाहों को नीचे रखते हैं, क्योंकि यह दीदा बाज़ी इश्क़ व मुहब्बत की बुनियाद है :—

देखने से शौक़ पैदा, शौक़ से पैदा तलब।
दिल की दुश्मन आंख थी, दिल दुश्मने जां हो गया॥

और अल्लाह का मन्शा यह है कि मर्द ख़ास अपनी बीवी का होकर रहे, जिस तरह कि एक नेक आदमी यह चाहता है कि मेरी बीवी ख़ास मेरी होकर रहे। अगर, ख़ुदा न करे, आपकी नज़रें अजनबी औरतों पर हों, फिर अख़लाक़न आपकी बीवी भी आपकी पाबन्द नहीं हो सकती और न ही आप उसकी आज़ादी में ख़लल डालने का कोई हक़ रखते हैं। जब आप ख़ालिस उसके नहीं, वह कैसे आपके लिए ख़ालिस हो सकती है।

قَالَ اَیُّمَا رَجُلٍ رَاٰی اِمْرَأَةً تُعْجِبُهٗ فَلْیَقُمْ اِلٰی اَهْلِهٖ فَاِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِیْ مَعَهَا (دارمی)

११. फ़र्माया हुज़ूर सल्ल० ने, जो इन्सान भी किसी औरत को देखे और वह उसको अच्छी मालूम हो, तो उसको चाहिए कि अपनी बीवी के पास जाये और उससे सोहबत करे, क्योंकि जो चीज़ उस अजनबी औरत के पास है, वही उसकी बीवी के पास है।

गोया कि हुज़ूर सल्ल० ने यह इलाज बतलाया कि इस तरह तुम ख़ालिस अपनी बीवी के रह सकते हो। अजनबी औरत का पसन्द आना ख़्वाहिश को बढ़ाना था, अब इस ख़्वाहिश को जायज़ जगह पूरी करो। गुनाह से बच गए और इलाज भी हो गया।

पाक नज़री की तालीम

عَنْ بُرَیْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَعْلِیُّ یَا عَلِیُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ

१२. हज़रत बुरैदा ने फ़र्माया कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, ऐ अली ! ग़ैर-औरत पर दूसरी बार नज़र न डालना, क्योंकि पहली नज़र जो अचानक पड़ गई, उसका कोई हरज

اُنْظُرْ فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ۔

(ترمذی،ابوداؤد)

नहीं, हां, दूसरी बार जान-बूझकर न देखो, क्योंकि अब नफ़्स का दख़ल है।
—तिर्मिज़ी, अबू दाऊद

मेरे जेहन में हज़रत अली रज़ि० को ख़िताब करके कहने की वजह यह है कि हुज़ूर सल्ल० को उस ज़माने के कुछ जाहिल सूफ़ियों का हाल मालूम हो गया था कि हज़रत अली रज़ि० सिल-सिलों के तमाम बुज़ुर्गाने दीन के पेशवा होंगे, तो इस ख़ुसूसियत से इशारा था इस बात की तरफ़ कि जैसे हज़रत अली, तमाम सूफ़ियों के पेशवा को अजनबी औरत पर नज़र डालने की इजाज़त नहीं, तो ऐ जाहिल सूफ़ियो ! क्या तुम्हारा दर्जा हज़रत अली रज़ि० जैसे परहेज़गार सहाबी से भी बढ़ गया। उनको दूसरी बार नज़र डालनी भी जायज़ नहीं और तुम ग़लत तरीक़े पर सिलसिले को बदनाम करके अपनी मुरीदनों के साथ तहज्जुद पढ़ो और उनसे कहो कि हम उनके मुर्शिद बाप जैसे हैं, टाँगें दबवाओ। अफ़सोस है ऐसे पीरों पर और ऐसे बे-ग़ैरत मुरीदों पर कि अपनी बहू-बेटियों को बे-पर्दा उनके सामने कर दें। —अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, दारमी, मुस्नद अहमद

हुज़ूर सल्ल० फ़र्माते हैं कि मैं अजनबी औरतों से हाथ नहीं मिलाता क्योंकि औरतों के जिस्म का मर्द के जिस्म से लगाना ही ज़ुल्म है। ज्यों ही बदन से बदन लगा, करेंट दौड़ा। क्या, अल्लाह की पनाह, इस ज़माने के जाहिल पीर हुज़ूर सल्ल० से भी ज़्यादा परहेज़गार हैं।

हरामकारी कैसे रुके?

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

१३. हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्ल० ने

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (رواه الترمذي)

फ़र्माया, जिन औरतों के शौहर बाहर गये हों, उन औरतों के पास अकेले में न जाओ, क्योंकि शैतान उनकी रग-रग में अपना असर किये बिना नहीं रहता। सहाबा रजि० कहते हैं कि हमने पूछा, क्या आप पर भी शैतानी असर होता है। आपने फ़र्माया, हाँ, दाँव वह मुझ पर भी चलाता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस पर ग़लबा दे दिया। मैं उसके असर से बचा रहता हूं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
—तिर्मिज़ी

अब सोचना चाहिए कि जब मर्दूद शैतान हुज़ूर सल्ल० जैसी हस्ती पर बिना असर किए नहीं चूकता, तो आज के जाहिल पीर या हमारे नव-जवान उसके असर से कैसे बचे रह सकते हैं। हदीस में आया है, औरतें शैतानों के फंदे और जाल हैं। उनके ज़रिए मर्दों को फंसाते हैं।

पाक नज़री का फल

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ

१४. हज़रत अबू उमामा फ़र्माते हैं कि फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, जिस मुसलमान की किसी अजनबी औरत की ख़ूबसूरती पर नज़र पड़ी, उसने सिर्फ़ अल्लाह के लिए अपनी नज़र नीचे कर ली, ऐसे ईमानदार

ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلَّا اَحْدَثَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا

(رواه احمد)

मर्द को उसके बदले में ऐसी इबादत नसीब होगी, जिसकी मिठास वह अपने दिल में महसूस करेगा। —अहमद

अगर ख़ूबसूरती का नज़ारा करना हो तो अपनी बीवी को देखिए और वह उसी वक़्त हो सकता है जबकि आपकी नज़रें सिर्फ़ अपनी बीवी के लिए ख़ास हों और यह उसी वक़्त मुम्किन है कि शादी से पहले बीवी को देखकर पसन्द कर लिया जाए और फिर अपनी पसन्द की शादी की जाए। लेकिन आज कल लड़कियों वाले उनको इतना छिपा कर रखते हैं कि ससुराल वालों को उनकी हवा ही न लगे इसी से तो बाद में ख़राबियां पैदा हो जाती हैं, फिर क्यों न लड़कों-लड़कियों का रिश्ता करने से पहले आपस में दिखा दिया जाए तो औरत और मर्द कि ज़िन्दगी हमेशा के लिए अच्छी तरह गुज़रे।

रिश्ते से पहले लड़की देखना

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

१५. हज़रत जाबिर कहते हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, रिश्ता करने से पहले अगर मुम्किन हो, तो उस लड़की को देख लिया करो। —अबू दाऊद

चुनाँचे उलेमा ने लिखा है, जिस लड़की से रिश्ता करने का ख्याल हो, तो पैग़ाम डालने से पहले उस लड़की को देख लेना पसन्दीदा काम है, क्योंकि अगर वह मन को भा गई तो निकाह के बाद उसकी वजह से ज़िना से बचा रहेगा। इसलिए कि निकाह का असल मक़्सद ही यह है कि मर्द हर तरह से बीवी का होकर रहे, आँख से देखे तो बीवी को देखे, लुत्फ़ उठाये तो सिर्फ़ बीवी से, खूबसूरती की तारीफ़ सुने, तो सिर्फ़ अपनी बीवी की, ख्वाहिश पूरी करे तो सिर्फ़ अपनी बीवी के साथ, चलकर जाये तो सिर्फ़ अपनी बीवी के पास।

१६. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा फ़र्माते हैं कि मैंने एक लड़की से रिश्ते का पैग़ाम डालने का इरादा किया। इस पर हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया तुमने उसको देख भी लिया? मैंने कहा नहीं। आपने फ़र्माया, ख़ैर! अब ज़रूर देख लो, क्योंकि इस वक़्त का देखना आइन्दा तुम्हारी मुहब्बत का बहुत बड़ा ज़रिया है।
—अहमद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्नेमाजा

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ اِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا۔
(رواه احمد والترمذی نسائی ابن ماجه)

यानी देखने के बाद अगर दिल को भा गई तो निकाह के बाद मुहब्बत ज्यादा होगी, क्योंकि अपनी पसन्द के बाद जो निकाह होता है, देखा यही गया है कि उसमें आपसी ताल्लुक़ात बहुत अच्छे रहते हैं और मियाँ-बीवी की ज़िन्दगी बहुत सुकून से गुज़रती है। हर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी ख़ूबसूरत हो और हिन्दी की एक मिसाल है, 'वोहि सुहागिन कहलाये, जो पी के मन को भाये।' लैला ने ख़लीफ़ा से कहा, अगर मजनूं की नज़र मुझ पर पड़ जाये तो दोनों

दुनिया की क़द्र उसकी आँखों में बाकी न रहे। जब ख़लीफ़ा ने लैला को देखा तो वह बड़ी बद-शक्ल काली थी। इस पर ख़लीफ़ा ने लैला से कहा, अरी कमबख़्त! मैं तो समझता था कि तू बहुत ख़ूबसूरत होगी, जो मजनूं तुझ पर इतना फ़िदा है, लेकिन तू तो चुड़ियल ही निकली। तेरे से लाख दर्जा बेहतर लाखों औरतें मौजूद हैं। लैला ने बादशाह को जवाब दिया, हुज़ूर! मेरी क़द्र मेरे मजनूं से पूछिए। उसके नज़दीक दोनों जहान में भी मुझसे ज़्यादा कोई औरत ख़ूबसूरत नहीं। जो जी को भाये, वही सुहागिन कहलाये। सैकड़ों वाक़िआत इस क़िस्म के हैं कि माशूक़ में, सच में, कोई भी ख़ूबी नहीं, लेकिन उसके आशिक़ के दिल से पूछिए कि सारा जहान उसकी नज़रों में बे-क़ीमत रहता है। सबकी ख़ूबियों से उसकी आंखें बन्द होती हैं और माशूक़ की बुराइयां भी उसकी नज़रों में महबूब होती हैं, वह गालियां देता है, उसे मज़ा आता है। ख़ूब समझ लो हुज़ूर सल्ल० का निकाह से यही मन्शा है कि मुसलमान शौहरों और मुसलमान बीवियों के आपसी ताल्लुक़ात बिल्कुल आशिक़ व माशूक़ जैसे हो जायें, ताकि दुनिया भर की ख़ूबसूरत औरतें उसके मुक़ाबले में कोई क़ीमत न रखें और मियाँ-बीवी की ज़िन्दगी सच्ची ख़ुशी की और ऐश की ज़िन्दगी बन जाये।

ना-महरम को देखना

عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ

१७. फ़र्माया हुज़ूर सल्ल० ने, अल्लाह लानत करे उस आदमी पर, जो अपनी औरत के अलावा किसी अजनबी औरत को जान-बूझ कर देखे। इसी तरह लानत करे अल्लाह उस पर जो अपने आपको बे-ज़रूरत किसी ना-

महरम को दिखलाये। —बेहकी (رواه البيهقي)

क्योंकि इस नज़रबाज़ी में इस बात का बड़ा डर है कि मर्द को कोई ग़ैर औरत पसन्द न आये। इस तरह औरत को कोई अजनबी मर्द पसन्द आ जाए और यह ज़रिया हो जाये मियां-बीवी में जुदाई और दिल से उतर जाने का। हमारे नव-जवानों को और खास तौर पर औरतों को चाहिए कि वे ग़ैर मर्दों को न देखें, वरना लानत के हक़दार होंगे। औरतें इस मामले में बिल्कुल एहतियात नहीं करतीं; शादी-ब्याह के मौक़ों पर अक्सर कोठों पर चढ़ कर बारात वालों को देखा करती हैं। यह ख़्याल करती हैं कि हम तो उनको देख रहे हैं और कोई हमको नहीं देखता, हालांकि बारात में कुछ बदमाश वैसे भी होते हैं, जिनकी नज़रें कोठों पर लगी रहती हैं, ताकि कोई अच्छी औरत नज़र पड़ जाए। याद रखना हदीस में साफ़ आ गया, देखने वाले पर लानत है और दिखाने वालों पर भी लानत। ताज़ियों के मौक़े पर भी बहुत सी औरतें कोठों पर चढ़ जाती हैं ताकि वे ताज़ियों को देखें। याद रखना उनका यह काम बिल्कुल हराम है आइन्दा के लिए तोबा करनी चाहिए।

बालिग़ लड़की

१८. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ि० की रिवायत है, फ़र्माते हैं कि एक कुवांरी लड़की हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुई और कहने लगी, मेरे बाप ने ज़बरदस्ती शादी कर दी और मुझे वह लड़का पसन्द नहीं था। आपने फ़र्माया, फिर तुझे

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا

अख्तियार है, चाहे इस निकाह को क़ायम रखे या तोड़ दे । —अबूदाऊद

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رواه ابوداؤد)

बालिग़ लड़की का ज़बरदस्ती निकाह करना जायज़ नहीं, बल्कि हराम है।

लड़के की ज़िम्मेदारी

१९. हज़रत अबू सईद और इब्न अब्बास रज़ि० ने फ़रमाया जिस आदमी के लड़का पैदा हो, उसके तीन फ़र्ज़ हैं १. अच्छा नाम रखे, २. ऐसी तालीम दे जो दीन-दुनिया, दोनों में मुफ़ीद हो, ३. जब बालिग़ हो जाये तो उसका निकाह कर दे और अगर लड़का बालिग़ हो गया और उसका निकाह नहीं किया और उस लड़के से किसी क़िस्म को बदकारी हो गई तो लड़के की इस बदकारी का गुनाह उसके बाप पर होगा। —बैहक़ी

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وُّلِدَ لَهٗ وَلَدٌ فَلْیُحْسِنْ اِسْمَهٗ وَاَدَبَهٗ فَاِذَا بَلَغَ فَلْیُزَوِّجْهُ فَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلٰی اَبِیْهِ
(رواه بیهقی)

क्योंकि बाप तीसरे फ़र्ज़ का छोड़ने वाला और क़ुसूरवार है। इसलिए मां-बाप को लड़के के बालिग़ होते ही उसका निकाह कर देना चाहिए। बेकार के इन्तिज़ार में शरीअत का भी बोझ है और दुनिया के एतबार से भी नुक़सान है, क्योंकि अक्सर लड़की की तन्दुरुस्ती आवारगी और बदचलनी की वजह से ज़माने में ख़राब हो जाती है। रुपया अलग ख़राब, तन्दुरुस्ती अलग ख़राब और मां-बाप की इज़्ज़त व आबरू अलग बरबाद।

जवान लड़की की ज़िम्मेदारी

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاَنَسِ
ابْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوْبٌ مَنْ
بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ
سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَاَصَابَتْ
اِثْمًا فَاِثْمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ
(رواه بيهقي)

२०. हज़रत उमर और हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया कि तौरात में लिखा हुआ है, जिस लड़की की उम्र १२ साल हो जाए और उसके मां-बाप उसकी शादी न करें तो अब अगर उस लड़की से कोई गुनाह होगा तो इसके ज़िम्मेदार उसके मां-बाप होंगे।

—बैहक़ी

ग़ौर कीजिए कि किस क़दर ज़िम्मेदारी की चीज़ है लेकिन हम हैं कि परवाह तक नहीं करते, हालांकि आये दिन के वाक़िआत इस के गवाह हैं कि लड़की की ज़्यादा उम्र करनी हर सूरत से नुक़सानदेह है। हज़ारों लड़कियां ज़्यादा उम्र की होकर या तो बदमाश हो गई या हमल रह गए या किसी के साथ भाग गईं। यह सब हमारे एहसास न करने का नतीजा है और पाक शरीअत की हिदायतों की पाबन्दी न करने का फल है। जब लड़की बालिग़ हो गई तो अपने घर बिठाने की ज़रूरत नहीं, अगर जहेज़ देने को नहीं, न दीजिए जहेज़ कोई ज़रूरी नहीं। हज़रत फ़ातमा, जो दोनों जहान की शहज़ादी हैं, उनको दोनो जहान के बादशाह ने क्या दिया? क्या हमारी लड़कियां दर्जे में हज़रत फ़ातमा से भी बढ़ गयीं? बस तो दीनदार बाअख़लाक़ लड़का तलाश करके फ़ौरन इस फ़र्ज़ से छुटकारा पा लीजिए।

लड़कियों के गीत

عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ اِذْ قَالَتْ اِحْدٰهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذِهٖ وَقُوْلُوْا بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ۔

(رواه البخاري)

२१. हज़रत रबीआ बिन्त मुअव्वज बिन अफ़रा अपनी शादी का वाक़िया बयान करती हुई फ़र्माती हैं कि जब मैं रुख़सत होकर अपने दूल्हा के यहाँ आई तो मुबारकबादी के लिए हुज़ूर ताजदार मदीना तशरीफ़ लाये और मेरे बिस्तर पर बैठ गए। इतने में हमारे ख़ानदान में जो लड़कियाँ, इत्तिफ़ाक़ से वहाँ मौजूद थीं, उन्होंने दफ़ बजाना और गीत गाने शुरू कर दिये। अचानक उनमें एक लड़की कहने लगी, 'हमारे यहाँ ऐसे नबी हैं जो कल होने वाली बात को जानते हैं' इस पर हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया इस जुमले को छोड़ो और वही कहो जो पहले कह रही थी क्योंकि ग़ैब अल्लाह के सिवा कोई नही जानता, हाँ, जो ख़ुदा को मनज़ूर होता है, वह अपने रसूलों को बतला देता है। —बुख़ारी

इस हदीस से दो बातें मालूम हुईं—१. वह शायरी, जिसमें झूठ न हो, उसका पढ़ना जायज़ है, २. शादी के मौक़े पर अगर लड़कियां इकट्ठी होकर गायें-बजायें, तो यह जायज़ है। अल्लामा अक्मलुद्दीन रह० ने लिखा है कि निकाह के वक़्त इसी तरह दूल्हा के घर दफ़ बजाना जायज़ है। इसी तरह ख़त्नों में और ईदों के मौक़े पर और

जब दोस्त—अहबाब जमा हों, तो उनके लिए दफ़ बजाना दुरुस्त है।

२२. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि एक अन्सारी औरत को रुख़सती (शादी) हुई। वह शादी बहुत सादी थी। इस पर हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया, क्या तुम्हारे साथ ढोल वग़ैरह तफ़रीही सामान नहीं हैं, क्योंकि अन्सार ऐसे मौक़ों पर गाने-बजाने को पसन्द करते हैं —बुख़ारी

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ زُفَّتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

(رواه البخاری)

यह है इस्लामी शादी का नमूना। लेकिन हमने इस्लामी रस्मों के निकाह जैसे पाक-साफ़ काम में भी अपनी तरफ़ से ऐसी-ऐसी ईजादें कीं, जिनकी शरीअत में कोई बुनियाद नहीं। चुनांचे हज़रत आदम बन्नौरी ने अपनी किताब 'इल्मुल हुदा' में इसी तरह लिखा है कि निकाह में ऐसी बहुत सी रस्में शामिल कर ली गई हैं जिनका करना कुफ़्र है। कुछ ऐसी रस्में भी हैं, जिनका करना बिद-अत है, पस ऐसी रस्में, जिस निकाह में आज की जाती हैं वह निकाह इस्लामी नहीं होता और उस निकाह से जो औलाद होती है हरामी होती है।

(१) यह कि कुछ सरसों, स्पन्दाना, हल्दी, लोहे की अंगूठी लेकर इन सबको कपड़े में बांध धर दूल्हा-दुल्हन के हाथ पर बांधते हैं, इसको हिन्दू कंगना कहते हैं, यह खुला हुआ कुफ़्र है। इसको करने वाला और इस पर राज़ी होने वाला काफ़िर होता है।

(२) यह कि मटकी पर फूल बांधते हैं और सन्दल घिस कर उस पर लगाते हैं। यह रस्म आतिश परस्तों (अग्निपूजकों) की है।

(३) यह कि दूल्हा को और इस तरह बारात को औरतें गन्दी गालियां बकती हैं।

(४) दूल्हा के सिर पर मां या बहन अपने दोपट्टे का आंचल डालती हैं और दुल्हन के सिर पर मर्द की पगड़ी-साफ़ा रख देती हैं और इन दोनों पर लानत है, क्य।।॰ हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है, ख़ुदा की लानत है उस मर्द पर जो नक़ल करे औरतों की। इसी तरह ख़ुदा की लानत है उस औरत पर जो नक़ल करे मर्दों की।

(५) दुल्हन का अंगूठा दूध और पानी से धोते हैं और उसका नेग नाइन को देते हैं, जिसे अंगूठा धुलाई कहते हैं। यह रस्म भी मजूसियों की है और इसमें ख़तरा है कुफ़ का।

(६) कुछ जगह फ़िक़राबंद गालियां देती हैं, जिसमें मस्जिद, मेहराब और शिमला (पगड़ी) की तौहीन होती है। यह भी कुफ़्र है।

(७) मर्द को दूल्हा बनाकर काजल उसकी आंखों में डालती हैं। यह भी अच्छा नहीं।

(८) बालिग़ लड़कियां इकट्ठा होकर नाचती हैं, ज़ोर-ज़ोर से गाती हैं, जिसकी आवाज़ बाहर जाती है और ना-महरम उसको सुनते हैं। यह सबके नज़दीक है।

(९) काग़ज़ के फूल वग़ैरह लगाकर मकान को सजाती हैं। यह भी फ़िज़ूल ख़र्ची में दाख़िल है और हराम है।

(१०) दूल्हा के सेहरा बांधते हैं, यह भी मुश्रिकों की रस्म है और नाजायज़ी है।

(११) चांदी का कड़ा हाथ में और चांदी की हंसुली दूल्हा के गले में डालते हैं, यह भी हराम है।

(१२) दूल्हा को घोड़े पर सवार करके बाज़ारों में और गलियों में फिराना।

(१३) बारात, बाजा-गाजा और नफ़ीरी के साथ होती है।

(१४) फिर यह कि आतिशबाजी जलाई जाती है।

(१५) चांदी या सोने के बर्तन में दूल्हा और दुल्हन को शर्बत या दूध पिलाना।

(१६) दूल्हा को सोने की अंगूठी पहनाना ये सभी रस्में हराम हैं। इनसे हर मुसलमान मर्द-औरत को बचना चाहिए और अपनी शादियों को इस्लामी शादी बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

—मज़ाहिरे हक़ पृ० ४, भाग ३

बदशगूनी बुरा काम

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ شَوَّالٍ وَبَنٰی بِیْ فِیْ شَوَّالٍ فَاَیُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ اَحْظٰی عِنْدَہٗ مِنِّیْ

(رواہ مسلم)

२३. हज़रत आइशा फ़र्माती हैं कि मेरी शादी और रुख़सती में शव्वाल के महीने (ईद के चाँद) में हुई अब तुम देखो कि हुज़ूर सल्ल० की बीवियों में मुझसे ज़्यादा कौन सी साहिबे नसीब थीं।

—मुस्लिम

इससे मालूम हुआ कि जो नादान औरतें और मर्द ईद के महीने में निकाह करने को मनहूस ख़्याल करते हैं, वह ग़लत है, बल्कि ईद के महीने में निकाह व शादी करना पसन्दीदा है। जैसे इस ज़माने के जाहिलों का अक़ीदा है कि फलां महीने में निकाह न करना चाहिए, फ़लां दिन न करना चाहिए, फ़लां तारीख़ को न करना चाहिए, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। इसी तरह उस ज़माने के जाहिलों का यही अक़ीदा था और इस अक़ीदे को तोड़ने के लिए हुज़ूर सल्ल० ने यह

निकाह व रुखसती उन्हीं तारीखों में कराई और हज़रत आइशा का भी इस हदीस के बयान करने का यही मन्शा है।

शादी के मौक़ों पर गाना

२४. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि मेरे पास अन्सार की एक लड़की रहती थी। मैंने उसकी शादी कर दी। इस पर हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया, ऐ आइशा! तुम गाना नहीं करातीं, यह अन्सारी क़ौम तो गाने पसन्द करती है। —इब्ने हब्बान

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ
عِنْدِي جَارِيَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ
زَوَّجْتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ
أَلَا تُغَنِّيْنَ فَإِنَّ هٰذَا الْحَيَّ
مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّوْنَ الْغِنَاءَ
(رواه ابن حبان)

इससे आज कल की तरह गाना-बजाना, ढोल, गाजा-बाजा, हारमोनियम वग़ैरह मुराद नहीं, बल्कि इससे अच्छे शेर दफ़ के साथ मुराद है।

२५. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़र्माते हैं कि हज़रत आइशा रज़ि० ने एक अन्सारी लड़की की शादी की, जो हज़रत आइशा की रिश्तेदार भी थीं। इतने में हुज़ूर सल्ल० तशरीफ़ ले आये, आपने फ़र्माया क्या तुमने उसके साथ किसी गाने वाले को भी भेजा? हज़रत आइशा रज़ि० ने जवाब दिया नहीं।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ
عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ
الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوْا نَعَمْ
قَالَ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تُغَنِّيْ

इस पर हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया कि अन्सारी क़ौम का शौक़ गाने की तरफ़ ज्यादा है। काश तुम दुल्हन के साथ उस आदमी को भी भेज देती, जो यह गाकर सुनाता, 'आये हम तुम्हारे पास। अल्लाह तुमको भी सलामत रखे और हमको भी सलामत रखे।'

—इब्ने माजा

قَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

(رواه ابن ماجه)

इसका दूसरा शेर यह है :—

अगर लाल गेहूं न होते तो तुम्हारी बेटियां मोटी न होतीं। अगर काली खजूरें न होतीं तो हम तुम्हारे मकानों में न रहते। ये शेर आम तौर पर अन्सार की शादियो में पढ़े जाते हैं।

२६. हज़रत आमिर इब्न साद रज़ि० ने फ़र्माया कि मैं क़ुरज़ा इब्न काब और अबू मस्ऊद अन्सारी की ख़िदमत में एक शादी के मौक़े पर हाज़िर हुआ। मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ लड़कियाँ गीत गा रही हैं। इस पर मैंने उनसे कहा, हे हुज़ूर के सहाबियो ! ऐ बद्र की लड़ाई में शरीक होने वालो ! तुम्हारी मौजूदगी और यह गाना बजाना और तुम इस मज्लिस में मौजूद हो। इस पर मुझे यह जवाब मिला कि हमारे साथ तुम

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ فِىْ عُرْسٍ وَاِذَا جَوَارٍ يُغَنِّيْنَ فَقُلْتُ اَىْ صَاحِبَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هٰذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اِجْلِسْ اِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَاِنْ شِئْتَ

فَاذْهَبْ فَاِنَّهٗ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِى اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ
(رواه النسائى)

भी सुनो या चले जाओ, क्योंकि शादी के मौक़ो पर गाने-बजाने की हमको इजाज़त है। —नसई शरीफ़

नोट—याद रखो, बाजा-गाजा, हारमोनियम के साथ हर वक़्त ही हराम है।

निकाह किस जगह करना चाहिए

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ
(ترمذى وقال حديث غريب)

२७. हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, एलान करो तुम निकाह का यानी मशहूर करो और उसको मस्जिद में रखो और निकाह के वक़्त दफ़ बजाओ। —तिर्मिज़ी

चुनांचे जुमा के दिन मस्जिद में निकाह करना बेहतर, सवाब की चीज़ और बरकत वाला है।

बीवी के हुक़ूक़

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا

२८. हज़रत उक़्बा इब्ने आमिर रज़ि० कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़रमाया, निकाह की शर्त पूरी करने का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखो।

—बुख़ारी व मुस्लिम بِهٖ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

(متفق علیه)

यानी महर अदा कर, उसको खाने-पीने को दो, उनको रहने के लिए मकान दो, उनसे अच्छा बर्ताव करो, अच्छे अख़लाक़ से पेश आओ। कुछ लोग ना-हक़ बीवी को तंग करते हैं कि तुमको मेरे मां-बाप के पास रहना होगा, उनके साथ खाना होगा। अगर बीवी ख़ुशी के साथ मन्ज़ूर कर ले, तो कुछ हरज नहीं, वरन इस मामले में उस पर जब्र करना, ज़बरदस्ती इसकी पाबन्दी लगाना जायज़ नहीं। इसी तरह कुछ लोग माँ-बाप की वजह से बीवी के मामले में ज़्यादती करते और इसका हक़ मारते हैं, यहां तक कि कुछ दीनदार आलिम भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, यह उनकी सख़्त ग़लती है। ऐसे ही नान-नफ़्फ़े के मामले में भी ज़्यादती से काम लिया जाता है तो अगर किसी आदमी की इतनी आमदनी है कि वह मां-बाप पर ख़र्च करे तो बीवी को नहीं दे सकता और बीवी को दे तो मां-बाप को नहीं बचता। ऐसी सूरत में बीवी पर ख़र्च करना ज़रूरी है और मां-बाप को देना उस पर ज़रूरी नहीं। ख़ूब समझ लो, इसे न जानने की वजह से सैकड़ों घर बर्बाद हो गये हैं।

कुछ सासें बहुत ही बेरहम और ज़ालिम होती हैं, जो बात-बात पर बहू से बिगड़ बैठती हैं और इसी पर बस नहीं करतीं, बल्कि अपने बेटों के कान भर-भर कर आपस में खिंचाव पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से बेचारी बहू ससुराल के नाजायज़ ज़ुल्मों को बर्दाश्त करती है या अपने मां-बाप के घर चली जाती है। मर्दों की यह बहुत बड़ी ग़लती है और उनको अल्लाह के यहां इसकी जवाबदेही करनी होगी। चुनांचे बहिश्ती गौहर में हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी लिखते हैं, अगर किसी आदमी के पास कमाई

और दौलत इतनी कम हो कि मां-बाप की खिदमत करे तो बीवी-बच्चों को तकलीफ़ होने लगे, तो उसे जायज़ नहीं कि बीवी-बच्चों को तकलीफ़ दे और मां-बाप पर खर्च करे और बीवी का हक़ है कि शौहर से उसके मां-बाप से अलग रहने की मांग करे, पस अगर वह इसकी ख्वाहिश करे और मां-बाप उसको अपने साथ रखना चाहें तो शौहर को जायज़ नहीं कि इस हालत में बीवी को उनके साथ रखे, बल्कि शौहर पर वाजिब है कि उसको अलग रखे। अगर मां-बाप कहें कि तू बिला-वजह शरअी बीवी को तलाक़ दे दे, तो मां-बाप की इताअत वाजिब नहीं। मां-बाप अगर कहें कि तू सारी कमायी हमको दे दिया कर, इसमें भी उनकी इताअत ज़रूरी नहीं। अगर मां-बाप उस पर जबर्दस्ती करेंगे तो गुनाहगार होंगे।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا یَحِلُّ مَالُ
اِمْرَءٍ اِلَّا بِطِیْبِ نَفْسٍ مِّنْہُ (بہشتی زیور ص ۱۵۶ ح ۱۱)

फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, किसी का भी माल हलाल नहीं है, मगर राज़ी खुशी से।

—बहिश्ती ज़ेवर पृ० १५६, भाग ११

और वह हदीस कि अगर तेरा बाप तुझको हुक्म दे कि तू अपनी बीवी को तलाक़ दे दे और इस क़िस्म की दूसरी हदीसें, जो मां-बाप के हुक़ूक़ में आयी है, उनके तफ्सीली जवाब बहिश्ती ज़ेवर भाग ११ पृ० १५६ में हज़रत थानवी ने तफ्सील से लिख दिये हैं, क्योंकि यह मजमूआ बहुत मुख्तसर है, इसलिए इसमें इतना लिखना काफ़ी समझा गया। अगर इसकी तफ्सील देखनी हो तो बहिश्ती ज़ेवर में देखिए।

रिश्ते के आदाब

२६. हज़रत अबू हुरैरह फ़र्माते हैं कि फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने. न रिश्ते भेजो तुम किसी रिश्ते पर, यहां तक कि वह रिश्ता या तो छूट जाये या निकाह हो जाये।

—बुखारी व मुस्लिम

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰی خِطْبَةِ اَخِیْهِ حَتّٰی یَنْکِحَ اَوْ یَتْرُكَ

(بخاری ومسلم)

यानी किसी आदमी का रिश्ता किसी लड़की से हो रहा हो और लड़की वाले इस रिश्ते पर तैयार हों, तो इस सूरत में दूसरे को रिश्ता भेजना जायज़ नहीं, क्योंकि दूसरे रिश्ते में इस बात का भी डर है कि शायद पहला रिश्ता टूट जाए, जिसकी वजह से मुसल-मानों को तकलीफ़ पहुंचेगी और उस रिश्ते में कोशिश करने वालों को अलग रंज होगा और मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना हराम है, इसलिए किसी रिश्ते पर अपना रिश्ता भेज देना हराम है। हां, अगर पहले रिश्ते का कोई फ़ैसला हो जाए या निकाह की शक्ल में, या जवाब देने की शक्ल में तो इस शक्ल में दूसरा पैग़ाम डाला जा सकता है क्योंकि उस शक्ल में तकलीफ़ उनकी ओर से नहीं होगी और अगर दूसरा रिश्ता पहले रिश्ते के फ़ैसले के बग़ैर भेज दिया और दूसरा रिश्ता मंज़ूर करके उससे निकाह हो गया तो निकाह दुरुस्त हो जायेगा, लेकिन दूसरा रिश्ता भेजने वाले, इसमें सिफ़ारिश करने वाले सब गुनाहगार होंगे।

बर्थ कन्ट्रोल

३०. हज़रत जाबिर रज़ि० फ़र्माते हैं कि एक आदमी रसूल सल्ल० की खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगा कि मेरे पास एक लौंडी है, मैं उससे सोहबत कर लेता हूं, लेकिन उसके हामिला हो जाने को मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमारे घर का तमाम काम-धन्धा करती रहती है। अगर वह हामिला हो गई तो घर कौन संभालेगा, गोया कि यह सहाबी बर्थ कन्ट्रोल की इजाज़त चाहते थे। इस पर आपने फ़र्माया, अगर तुम्हारा मन्शा यही है तो तुमको अख्तियार है, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ने पहले से लिखा है उसके लिखे हुए को कोई तद्बीर टाल नहीं सकती। यह सुनकर वह आदमी चला गया और कुछ अर्से के बाद वही आदमी दोबारा वापिस आया और हाज़िर होकर कहने लगा, हुज़ूर लौंडी तो हामिला हो गई। आपने फ़र्माया, मैं तो पहले ही कह चुका था कि होना वही है जो अल्लाह ने लिख दिया है। —मुस्लिम शरीफ़

عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ اِنَّ رَجُلًا اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ لِيْ جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَاَنَا اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اِعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهٗ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اِنَّهٗ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

(رواه مسلم)

३१. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّؓ

قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَآءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَاَرَدْنَا اَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَبْلَ اَنْ نَسْاَلَهُ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ ۔

(بخاری شریف)

रज़ि० फ़र्माते हैं कि हम बनू मुस्तलिक़ की लड़ाई में हुज़ूर सल्ल० के साथ जिहाद करने के लिए गए हुए थे। इस मौक़े पर हमने हुज़ूर सल्ल० से अज़्ल बर्थ कन्ट्रोल के बारे में मालूम किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्ल० ! क्या हम ऐसी तद्बीरें कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमल न ठहर सके (जैसे इन्ज़ाल से पहले अपने ख़ास अंग को औरत के ख़ास हिस्से से निकाल लें या कोई हमल रोकने वाली दवा लें,) जिससे हमल न ठहरे या फ्रेन्च लेदर इस्तेमाल कर लें इस पर आपने फ़र्माया, तुम्हारा अज़्ल न करने में कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि क़ियामत तक जिस रूह का पैदा करना अल्लाह ने लिख दिया है, वह रूह पैदा होकर रहेगी, चाहे तुम बर्थ कन्ट्रोल करो या न करो। जिसको अल्लाह पैदा करने का फ़ैसला कर चुका है, तुम लाख तद्बीरें करो, वह रूह ज़रूर पैदा होगी।

—बुख़ारी शरीफ़

यानी तुम ख़्याल करते हो कि मनी का क़तरा अन्दर निकलने से बच्चे की पैदाइश होती है और इस क़तरे के अन्दर गिरने से रोकने पर बच्चा पैदा न होगा, यह ग़लत है। हर मनी के क़तरे से बच्चा नहीं होता, क्योंकि अक्सर मनी गिरती है, लेकिन बच्चे

उससे पैदा नहीं होते और कभी-कभी बच्चे न पैदा होने की सैकड़ों तद्बीरें कर ली जाती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, पस बच्चों की पैदाइश अल्लाह के इरादे पर ही होती है, न कि मनी के क़तरों के टपकने से। ऐसे ही बच्चों का न होना भी अल्लाह के इरादे के साथ है, न कि फ़ज़्ल से। चूंकि अल्लाह की सुन्नत यह है कि बच्चा नुत्फ़ा से पैदा होता है, पस यह हो सकता है कि अज़्ल की सूरत में बे-अख़्तियार मनी का कोई क़तरा रहम में जा पड़े और बच्चा बन जाये। और अगर तक़दीर इलाही में पैदा होना ही है तो वह बिना नुत्फ़े के भी पैदा कर सकता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।

३२. हज़रत साद इब्ने अबी वक़्क़ास रज़ि० फ़र्माते हैं कि एक आदमी हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगे कि मैं अपनी बीवी से अज़्ल करता हूं। आपने फ़र्माया, यह क्यों ? उसने जवाब दिया कि उसके बच्चे पर डरता हूं यानी वह बच्चे को दूध पिलाती है। मुझे डर है कि अगर मैं उससे अज़्ल न करूं तो उसको हमल ठहर जायेगा और दूध कम और ख़राब हो जाएगा। इस पर हुज़ूर ने फ़र्माया कि अगर दूध पिलाने के ज़माने में सोहबत करना बच्चे के लिए नुक़्सानदेह होता तो फ़ारस और रूम वालों को ज़रूर नुक़्सान पहुंचाता, क्योंकि वे लोग उस ज़मीन में सोहबत

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ رَجُلًا جَآءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِىْ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اُشْفِقُ عَلٰى وَلَدِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ذٰلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ -

करने के आदी हैं। —मुस्लिम (رواہ مسلم)

यानी जब फ़ारस और रूम वालों को नुक़्सान नहीं पहुंचता तो अज़्ल करना इस ख्याल से कि औरत हामला हो जाएगी, बेकार बात है अब भी बहुत से लोग ऐसा ख्याल करते हैं और औरत के पास नहीं जाते, हालांकि उस ज़माने में औरत की ज्यादा ख्वाहिश बढ़ जाती है, लेकिन वह शर्म की वजह से कुछ नहीं कह सकती, इसलिए उसकी ख्वाहिश को ठुकराना न चाहिए।

३३. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० फ़र्माते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० से अज़्ल (बर्थ कन्ट्रोल) के बारे में मालूम किया गया कि यह किया जाए या नहीं। आपने फ़र्माया, हर मनी के क़तरे से बच्चे की पैदाइश ज़रूरी नहीं और जब अल्लाह किसी के पैदा करने का इरादा फ़र्मा लेता है तो कोई तद्बीर उसके इरादे से उसे नहीं रोक सकती। —मुस्लिम शरीफ़

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ کُلِّ الْمَاءِ یَکُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰہُ خَلْقَ شَیْءٍ لَمْ یَمْنَعْہُ شَیْءٌ۔

(رواہ مسلم)

३४. हज़रत जुदामा फ़र्माती हैं कि मैं हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुई। आप बहुत से सहाबियों के मज्मे में तशरीफ़ रखते थे और यह फ़र्मा रहे थे कि मैंने चाहा था कि मैं ग़ैला से रोक दूं, लेकिन मैंने फिर रूम और फ़ारस के लोगों को देखा कि वे लोग ग़ैला करने के आदी हैं और उनके बच्चों को कोई नुक़सान नहीं पहुंचता।

عَنْ جُدَامَۃَ بِنْتِ وَھْبٍ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ اُنَاسٍ وَھُوَ یَقُوْلُ لَقَدْ ھَمَمْتُ اَنْ اَنْھٰی عَنِ الْغِیْلَۃِ فَنَظَرْتُ فِی الرُّوْمِ وَفَارِسَ

فَإِذَا هُمْ يَعْزِلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (رواه مسلم)

इसके बाद सहाबियों ने अज़्ल के बारे में पूछा। इस पर हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया कि अज़्ल करना असल में छिपे तौर पर ज़िन्दा गाड़ देना है और यह आयत 'और जब ज़िन्दा गाड़ी गई लड़की से पूछा गया' के मिस्दाक़ है।

—मुस्लिम

यानी जिस बच्चे को ज़िन्दा गाड़ दिया गया, अल्लाह उससे पूछेगा, तू किस गुनाह के जुर्म में क़त्ल किया गया था। हदीस से मालूम हुआ कि बर्थ कन्ट्रोल करने वाले हक़ीक़त में, उस रस्म को जारी कर रहे हैं, जो जाहलियत के ज़माने के अरब में जारी थी और फिर हम तो इस मामले में अरब को उस जाहिलाना रस्म से जिससे क़ुरआन और हदीस में सख़्ती से रोका गया है और भी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि वे तो सिर्फ़ लड़कियों को ज़िन्दा दफ़्ना दिया करते थे और लड़कों को ज़िन्दा छोड़ देते थे, लेकिन बर्थ कन्ट्रोल के हामी और उस पर अमल करने वाले, न लड़कों की परवाह करते हैं और न लड़कियों की, जो शरई हैसियत से हराम है। इसलिए बर्थ कन्ट्रोल के हामी, उस पर अमल करने वाले, उसको दवाएं देने वाले डाक्टर व हकीम, उसकी दवा तैयार करने वाला दवासाज़, उसके बारे में किताब लिखने वाले तमाम लोग गुनहगार हैं। दिल्ली के एक दवाख़ाने ने बर्थ कन्ट्रोल की किताब लिखी है, उसे हर मुसलमान जला दे और उसको हरगिज़ न ख़रीदे और न उसको अपने पास रखे। यह ख़्याल यूरोप से निकला है और बदक़िस्मती से मुसलमान उस पर अमल करते चले जा रहे हैं। हां, पहले ज़माने में

लौंडियों के साथ यह जायज़ था, अब हिन्दुस्तान में यह मनहूस रिवाज ज़रूर ही रद्द करने के क़ाबिल है इसमें इस्लामी नस्ल के ख़त्म हो जाने या कम हो जाने का बड़ा ख़तरा है।

नोट—ग़ीला के माने हैं दूध पिलाने के ज़माने में अपनी बीवी से सोहबत करना। जाहिल अरब इससे परहेज़ करते थे। हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया, इसमें किसी परहेज़ की ज़रूरत नहीं।

बदफ़ेली

३५. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़र्माते हैं कि फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने कि अल्लाह अपनी किताब में फ़र्माया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, पस आओ तुम अपनी खेतियों में अगले हिस्से में पीछे की तरफ़ से और बचो तुम पाख़ाने की जगह में सोहबत करने से, जिस तरह हैज़ की हालत में पेशाब की जगह से बचना ज़रूरी है। —तिर्मिज़ी

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُوْحِيَ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَلْاٰيَة اَقْبِلْ وَاَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ۔

(رواه الترمذی)

यानी जिस तरह हैज़ की हालत में पेशाब की जगह सोहबत करना हराम है, उसी तरह हर ज़माने में पिछले हिस्से में हराम है। आजकल बहुत शहवत-परस्त मुसलमान इस काम में मुब्तला है, उनको तौबा करनी चाहिए।

३६. हज़रत ख़ुज़ैमा इब्न साबित रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़र्माया, हक़ ज़ाहिर करने से अल्लाह

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ. (رواه احمد)

को शर्म नहीं आती न बदफ़ेली करो, न तुम अपनी औरतों से उनके पिछले हिस्से में सोहबत करो।

—मुस्नद अहमद

मतलब यह हुआ कि अल्लाह नहीं छोड़ता हक़ कहने को और उसके ज़ाहिर करने को और इस जुम्ले के शुरू फ़र्मान का मक़सद यह है कि यह काम बहुत बुरा और हराम है। और यह बात इस तरह की है कि इसका ज़िक्र करना और ज़ुबान पर लाना भी ठीक नहीं, अगरचे रोकने की वजह से ही हो लेकिन बग़ैर हुक्म शरई ज़ाहिर किए चारा भी नहीं और वह यह है कि तुम अपनी औरतों से पिछले हिस्से में सोहबत न करो, क्योंकि यह हराम है और जब अपनी बीवी से हराम है तो लड़कों से करना और भी ज़्यादा हराम हुआ, वैसे ही जैसे चील खाना, गधा खाना हराम है, और सूअर खाना भी हराम है, लेकिन पहले के मुक़ाबले में सूअर का खाना ज़्यादा हराम है।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتٰى اِمْرَاَتَهٗ فِىْ دُبُرِهَا.

(رواه احمد وابوداؤد)

३७. हज़रत अबूहुरैरह फ़र्माते हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, लानत है उस आदमी पर जो बदफ़ेली करे, अपनी बीवी से पाख़ाने की जगह में।

—मुस्नद अहमद, अबू दाऊद

लानत का मतलब है दुनिया व दीन में ख़ुदा की फटकार व क़हर के क़रीब है। आजकल के वे नव-जवान जो इस मनहूस काम

में हमेशा या कभी-कभी मुब्तला रहते हैं, उन पर आख़िरत में लानत होगी और दुनिया में भी लानत रहेगी। साथ ही डाक्टरी तौर पर भी यह काम बहुत ज़्यादा नुक़्सानदेह है। खास अंग की ताक़त कुछ ही दिन में घटनी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि शुरू में सुस्ती का मर्ज़ हो जाता है और आख़िर को यह ना-मर्द बन जाता है। फिर मियां साहब तो ना-मर्द हो गए और ग़रीब औरत अपनी ख़्वाहिश कैसे पूरी करे बस फिर यही होता है कि ग़ैर-मर्दों से उनकी आंखें मिलती हैं और मतलब पूरा होता है। शायद ही कोई हो जो इससे बच सके। जब उसका पेट न भरे तो वह करे भी क्या। ऐ अल्लाह ! तू हमारी हिफ़ाज़त फ़र्मा ! आमीन !! और हमारी औरतों की भी हिफ़ाज़त फ़र्मा ! आमीन !!

३८. फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, जो आदमी अपनी बीवी से पिछले हिस्से में बदफ़ेली करता है, अल्लाह अपनी नज़र फेर लेता है।

—शरहुस्सुन्न

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِىْ يَاْتِىْ اِمْرَاَتَهٗ فِىْ دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ۔

(رواه فی شرح السنة)

यानी अल्लाह की ख़ास रहमतें और मेहरबानी ख़त्म हो जाती हैं,

३९. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ि० की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्ल० फ़र्माते हैं कि अल्लाह नज़र नहीं करते उस आदमी

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى

पर जो किसी लड़के या औरत के पाखाने की जगह सोहबत और बदफ़ेली करे। —तिर्मिज़ी

رَجُلٍ اَتٰی رَجُلًا اَوِ امْرَاَۃً فِی الدُّبُرِ۔
(رواہ الترمذی)

यानी ख़ुदा की रहमतों से वह दूर हो जाता है।

मेरे ज़ेहन में इसकी ताबीर इस तरह करनी चाहिए कि एक आदमी ने किसी ख़ुशी के मौक़े पर अपनी तमाम बिरादरी को दावत दी ताकि उनको खाना खिलाये और बांटे। अब उस मौक़े पर पूरी बिरादरी जमा होती है। बिरादरी में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उसके नज़दीक बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के क़ाबिल हैं, और कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन। उसका जो बर्ताव दोस्तों और इज़्ज़तदार लोगों के साथ होगा, ज़रूर ही अपने दुश्मन के साथ वह बर्ताव नहीं होगा, ख़ास तौर से उस वक़्त जब कि दुश्मनी अपनी आख़िरी हद को पहुंच चुकी हो, तो ऐसी सूरत में उसके साथ ज़रूर ही वह ऐसा मामला करेग। जो उसको ज़लील करे जैसे उसको सलाम न करे, उसकी बात न पूछे, उसकी ओर रुख न करे, जब खाना खिलाने का वक़्त आये तो उसको न बुलाये। ऐसे ही अल्लाह के यहां सब अगले-पिछले क़ियामत के दिन जमा होंगे तो अल्लाह अपने दोस्तों को बाइज़्ज़त तरीक़े पर देखेगा, उनसे मुलाक़ात करेगा। उनको इज़्ज़त की जगह बिठायेगा, उनकी आवभगत करेगा और अपनी मेहरबानियों से जन्नत में दाख़िल करेगा, अर्श के साये में जगह देगा, जन्नत के दस्तरख़ान पर जन्नत के फल चुनके खिलायेगा और जो लोग बद-फ़ेली करने के आदी होंगे उनकी ओर अल्लाह न देखेगा, न उन पर उसकी रहमत होगी, न अर्श के साये में उनको जगह मिलेगी और न वे जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि यह गिरोह क़ानून तोड़ने वाला गिरोह है, पस ख़ुदा का दुश्मन है। हज़रत लूत अलै० की क़ौम इस बदफ़ेली की वजह से बर्बाद व तबाह कर दी

गई। इस बुरे काम से हमेशा-हमेशा के लिए तौबा करनी चाहिए। ऐसा आदमी कभी न कभी ज़रूर ज़लील हो जाता है और उसका यह काम मशहूर हो जाता है और औरतों को चाहिए कि उनके मर्द इस क़िस्म की फ़र्माइश करें तो उनको रोक दें और हरगिज़-हरगिज़ उनका कहा न मानें, क्योंकि यह काम हराम है और इसका करने वाला और करने वाली दोनों गुनाहगार हैं। और आगे के लिए दोनों का नुक़्सान है, क्योंकि काम करने वाला कुछ ही दिन में ना-मर्द हो जाता है।

ताजदारे मदीना सल्ल० का महर

४०. हज़रत अबू सलमा फ़रमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिमीन हज़रत आइशा रज़ि० से पूछा कि ताजदारे मदीना सल्ल० का कितना महर था। आपने फ़रमाया, पांच सौ दिरहम।

عَنْ اَبِیْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صُدَاقُ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صُدَاقُهٗ لِاَزْوَاجِهٖ ثِنْتَیْ عَشَرَةَ اُوْقِیَّةً وَنَشٌّ قَالَتْ اَتَدْرِیْ مَا النَّشُّ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ اُوْقِیَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

(رواہ مسلم)

यानी हमारे मौजूदा ज़माने के एक सौ इक्तीस रुपये पचास पैसे होते हैं। सोचने की बात है कि हुज़ुर ताजदारे मदीना, दीनों जहान के बादशाह सल्ल० ने—जिन के बराबर तो क्या, उनके क़दमों की खाक के बराबर भी कोई नहीं हो सकता—जितने निकाह किये उन सब में महर पाँच सौ दरहम मुक़र्रर हुआ, जिसके अंग्रेज़ी सिक्के के हिसाब से कुल एक सौ इक्तीस रुपये पचीस पैसे होते हैं और

आपकी तमाम साहबजादियों का महर, अलावा हज़रत ख़ातून जन्नत के, भी यही १३१.२५ था।

महर कितनी

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اَلَا لَا تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلٰكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِّنْ نِّسَائِهٖ وَلَا اَنْكَحَ شَيْئًا مِّنْ بَنَاتِهٖ عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ اُوْقِيَّةً۔ (رواه احمد والترمذی ابوداؤد والنسائی)

४१. फ़र्माया हज़रत उमर रज़ि० ने ख़बरदार रहो, औरतों का महर ज़्यादा न बांधो, क्योंकि अगर महर की ज़्यादती दुनिया में इज़्ज़त का सबब होती और अल्लाह के नज़दीक क़ुबूलियत की बात होती, तो नबी सल्ल० उसके लिए हर एतबार से ज़्यादा मुनासिब थे। मुझे जहाँ तक मालम है, यही कि हुज़ूर सल्ल० ने अपनी बीवियों से और साहब-ज़ादियों का महर बारह औक़ियों से ज़्यादा नहीं किया।

—अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्न माजा

हज़रत आइशा रज़ि० की हदीस मिलाकर कुल तायदाद अंग्रेज़ी रुपये से एक सौ इक्तीस रुपये पचीस पैसे बनाती है।

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

४२. फ़र्माया नबी सल्ल० ने जिस आदमी ने अपनी औरत के महर में दोनों हाथ में भर कर एक-दो मुट्ठी

مَنْ أَعْطٰى فِيْ صَدَاقِ
امْرَأَتِهٖ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا
أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
(رواه ابو داؤد)

सत्तू या खजूर दे दी, पर उसने हलाल कर लिया अपनी औरत को और बिना इसके, उसकी बीवी हलाल नहीं।
—अबू दाऊद

और यह वह महर है जिसको मुअज्जल कहते हैं। बन्दे के ख़्याल में हमारे यहाँ दुल्हा जो मुँह दिखाई देता है, वह महर मुअज्जल ही होगी, लेकिन अब इसका ख़्याल बिल्कुल नहीं करते। इस लिए हर दूल्हा जो मुंह दिखाई अपनी दुल्हन को दे, वह महर की नीयत कर लिया करे और फिर इतना ज़्यादा महर बांधने का आख़िर मतलब क्या है? क्या आपकी लड़कियाँ हुज़ूर सल्ल० की साहबज़ादियों से भी ज़्यादा हो गईं कि आप किसी जगह पांच हज़ार, कहीं दो हज़ार, कहीं हज़ार, कहीं पांच सौ, ये सब जाहिली रस्में हैं और महर की तायदाद मर्द की हैसियत के मुताबिक़ तज्वीज़ की जाए और अपनी बिरादरी का महर इस तरह पर तै कर लिया जाये कि हैसियत के मुताबिक़ हो। एक काली बदशक्ल लड़की का महर भी पांच हज़ार और ख़ूबसूरत, सलीक़ामन्द, हुनरमन्द का भी यही महर यह बात हमारे दिमाग़ में नहीं बैठती। जहाँ तक हो सके, महर हल्के फुल्के बांधने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा मिटने की, क़ुर्बान होने और पाबन्द होने की चीज़ तो वह है जो हुज़ूर सल्ल० की सुन्नत हो, न कि बिरादरी की रस्में, हर मुसलमान को चाहिये कि हुज़ूर के तरीक़े पर चले, महर फ़ातमी बांधे फिर देखे कि इस निकाह में कितनी बरकत होती है, मियाँ-बीवी की कैसे गुज़रती है, लेकिन अफ़सोस मुसलमान वह काम करते ही नहीं, जो हुज़ूर सरकारे मदीना सल्ल० ने अपने बेहतरीन ज़माने में किए हैं।

नोट—१२१ रु० से ज़्यादा महर बाँधना जायज़ तो है लेकिन बेहतर वही है जो आम तौर से हुज़ूर सल्ल० ने अपनी बीवियों और

साहबज़ादियों का मह्र बांधा है। हम को भी अपनी बिरादरी की तमाम रस्मों को छोड़कर हुज़ूर सल्ल० के पीछे चलना चाहिए।

सहाबा रज़ि० की सादगी

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ رَاٰی عَلٰی عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَۃٍ فَقَالَ مَا ھٰذَا قَالَ اِنِّیْ تَزَوَّجْتُ امْرَاَۃً عَلٰی وَزْنِ نَوَاۃٍ مِّنْ ذَھَبٍ قَالَ بَارَکَ اللّٰہُ لَکَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاۃٍ ۔ (متفق علیہ)

४३. हज़रत अनस रज़ि० फ़र्माते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्ल० ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ि० के कपड़ों पर ज़ाफ़रान का रंग लगा हुआ देखा। इस पर आपने फ़र्माया यह क्या? हज़रत अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया कि हुज़ूर मैंने शादी की है और इसका यह पौने सोलह माशा सोना क़रार पाया है। हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला बरकत फ़र्माये। तुम वलीमा करो, अगर्चे एक बकरी के साथ ही हो।

—बुख़ारी व मुस्लिम

इस हदीस में कुछ बातें विचार करने के क़ाबिल हैं।

(१) अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ हुज़ूर सल्ल० के सच्चे साथियों में से थे और आप के जो ताल्लुक़ात हुज़ूर नबी करीम सल्ल० के साथ थे, वे भी बाप, नाते-रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से कहीं बेहतर और बढ़-चढ़ कर थे। ऐसे घुले मिले और बेतकल्लुफ़ होने के बावजूद शादी करने में कोई शोर हंगामा नहीं, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्ल० तक को भी अगले दिन पूछने पर मालूम हुआ। सुब्हानल्लाह! इस सादगी पर कौन न मर जाये ऐ ख़ुदा!

(२) हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ दौलतमन्द आदमी थे, यहाँ तक कि उनके तिजारती मुनाफ़े से उनके मकान के हिस्से इस तरह भरे रहते थे, जिस तरह एक बड़े जमींदार का घर फ़सल के मौसम में अनाज से भर जाया करता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद निकाह में इतनी सादगी कि मदीने में निकाह हो और हुज़ूर सल्ल० तक को ख़बर न हो। फिर मह्र इतनी थोड़ी कि कुल मह्र की मिक़दार पौने सोलह माशा सोना हो।

(३) यह सहाबी रज़ि० तमाम लड़ाइयों में हुज़ूर सल्ल० के साथ शरीक रहे, यहाँ तक कि उहुद में उन्हें बीस घाव लगे और फिर भी हुज़ूर के साथ लड़ाई में जमे रहे लेकिन शादी की ख़बर न देने पर भी आप को बुरा न लगा। बल्कि शादी का हाल मालूम करके आपने ख़ुशी ज़ाहिर फ़र्माई और 'अल्लाह तुम्हें बरकत दे' से दुआ दी और इस पर हुज़ूर सल्ल० ने कोई नागवारी न दिखाई।

(४) वलीमा में सादगी इतनी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बकरी काफ़ी है। हमारे यहाँ वलीमा के लिए तमाम बिरादरी आये, वरना ख़ानदान के लोग तो ज़रूर ही होने चाहिए, चाहे क़र्ज़ लेकर ही हो, हालांकि पहले ज़माने का बड़े से बड़ा वलीमा एक बकरी ज़िब्ह करके खिला देने का काम था।

४४. हज़रत अनस रज़ि० फ़र्माते है कि हुज़ूर सल्ल० ने जितना शानदार वलीमा हज़रत ज़ैनब के निकाह में किया, इतना अपनी किसी शादी में भी नहीं किया। —बुख़ारी व मुस्लिम

عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ نِّسَائِهٖ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ۔ (بخاری ومسلم)

लीजिए यह वलीमा सरदारे दो जहाँ का सबसे बड़ा वलीमा था। इस हदीस से मालूम हुआ कि वलीमा से बकरी ज़िब्ह कर देना बहुत बड़ा वलीमा है। सरदारे दो जहाँ का दूसरा वलीमा नीचे की हदीस से मालूम कीजिए।

४५. हज़रत अनस रज़ि० फ़र्माते हैं कि मदीना और खैबर के दर्मियान हुज़ूर सल्ल० ने दिन रात क़ियाम फ़र्माया और वहाँ पर हज़रत सफ़िया से शादी हुई। फिर मैंने मुसलमानों को उनके वलीमा की दावत दी। दोनों जहान के बादशाह ने अपने इस वलीमा में न रोटी का इन्तिज़ाम फ़र्माया और न गोश्त खाने को दिया, बल्कि अपने चमड़े के दस्तरखान को बिछाने का हुक्म फ़र्माया। दस्तरखान बिछाया गया। उस पर कुछ खजूरें, कुछ पनीर के टुकड़े और घी चुन दिया गया। इसके अलावा और कुछ नहीं था।

—बुखारी शरीफ़

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلٰثَ لَيَالٍ يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهٖ وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَّلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَاُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْاَقِطُ وَالسَّمْنُ -

इस हदीस से मालूम होता है कि वलीमे के लिए खास तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो भी आसानी से मिल जाये, वलीमा कर दे।

अफ़सोस हुज़ूर सरवरे कायनात सल्ल० का दामन किस तरह हमने छोड़ा। कोई भी तो अल्लाह का बन्दा ऐसा नज़र नहीं आता कि हुज़ूर की सुन्नत के मुताबिक़ शादी करे।

४६. हज़रत सफ़िया बिन्ते शैबा रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुज़ूर सल्ल० ने

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ

अपनी कुछ बीवियों को वलीमा सिर्फ़ दो सेर जौ के साथ कर दिया।

—बुख़ारी

اَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ (رواه البخاری)

देखा आपने हुज़ूर सल्ल० की सादगी !

मुसलमानो! अल्लाह के रसूल सल्ल० की ज़िन्दगी का हर मामले में ख़्याल रखो कि कितनी पाक ज़िन्दगी थी और तकल्लुफ़ की बातों से कितनी दूर थी। क्या आपकी अब भी आँख नहीं खुलेगी ? अब तो निकाह ग़रीब के लिए वबाले जान बन गया और बहुत से निकाह इन्हीं बातों की वजह से होते ही नहीं। देखिए अब हुज़ूर की उम्मत अपनी जाहिलाना रस्मों की वजह से कितना कम कर रहे हैं। इस्लाम तकल्लुफ़ की बातों से पाक, पैग़म्बरे इस्लाम की ज़िन्दगी सादी, सहाबा रज़ि० की ज़िन्दगी रस्मों से अलग, तो आप किधर जा रहे हैं।

बिन बुलाये मेहमान

४७. हज़रत अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि० फ़र्माते हैं, अबू शुऐब अन्सारी का एक ग़ुलाम था, एक ग़ुलाम था जो खाना पकाया करता था। उससे उन्होंने फ़र्माया कि मेरे लिए पाँच आदमियों का खाना पका दो, मेरा ख़्याल है कि मैं हुज़ूर सल्ल० की दावत करूँ। उस बावर्ची ने कुछ थोड़ा सा खाना तैयार कर लिया। इसके बाद

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُكْنٰى اَبَا شُعَيْبٍ كَانَ لَهٗ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِيْ طَعَامًا يَكْفِيْ خَمْسَةً لَعَلِّيْ اَدْعُوْ

वह आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और आपकी चार आदमियों के साथ दावत कर दी। हुज़ूर सल्ल० ने उसकी दावत क़ुबूल फ़र्मायी और अबू शुऐब के साथ हो लिये। उस समय एक और आदमी आपके साथ हो गये। हुज़ूर सल्ल० ने अबू शुऐब के घर पहुंच कर उनसे फ़र्माया, ऐ अबू शुऐब! हमारे साथ एक आदमी और है। अगर तुम इजाज़त दो तो वह मकान के अन्दर आ जाये, वरना उसको दरवाज़े पर छोड़ दो। अबू शुऐब बोले कि हुज़ूर मेरी तरफ़ से इनको खुशी के साथ इजाज़त है। —बुखारी व मुस्लिम

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ رَجُلًا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ فَقَالَ لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ

(بخاری ومسلم)

इस हदीस से कुछ बातें मालूम हुयीं—

(१) किसी आदमी के यहां दावत में जाना बिना उसकी इजाज़त के जायज़ नहीं। (२) मेहमान को जायज़ नहीं कि घर के मालिक की इजाज़त के बिना अपने साथ किसी को साथ लाये। इसी तरह अगर यह मालूम हो कि मेज़बान को कोई बोझ न होगा, तब कोई हरज नहीं। (३) अगर कुछ खास लोगों की दावत करे और उनके साथ कोई आदमी चला आये, तो मेहमानों को चाहिए कि उसके लिए साहिबे खाना से इजाज़त ले। (४) पसन्दीदा है घर वालों के लिए कि उसको न रोके। हां, अगर किसी का हरज हो, नरमी के साथ वापिस कर दे शरहुस्सुन्न: में लिखा है कि इस में दलील है कि इस पर भी जिस आदमी की दावत न हो, उसको वहां पहुंच कर खुद से खाना हलाल नहीं।

४८. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि० फ़र्माते हैं, जिस आदमी की दावत की गई और उसने उस दावत को क़ुबूल नहीं किया तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की और जो आदमी बिना बुलाये दावत खाने आये, तो वह चोर हुआ क्योंकि बिना साहिबे खाना की इजाज़त के ऐसा है, जैसे छिप कर चोर आता है। बस यह गुनाहगार हुआ चोर की तरह और निकला उसके घर से डकैती डाल कर।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا

(رواه ابوداؤد)

क्योंकि जब यह अन्दर घुस गया साहिबे खाना चाहे अनचाहे अपनी बद-अखलाक़ी का धब्बा धोने की वजह से उसको कुछ न कहेगा लेकिन हदीस में आता है कि किसी का माल बिना उसकी खुशी और रज़ामन्दी लेना जायज़ नहीं, गोया कि जिस तरह डाकू जबरन माल लूट ले जाता है उस तरह ये लोग भी उसका खाना जबरन खा गये। मतलब यह है कि नबी करीम सल्ल० ने अपनी उम्मत को अच्छी आदतों को तालीम और बुरी आदतों से रोका। दावत का, बिना किसी मबूजरी के क़ुबूल न करना इस बात का पता देता है कि वह घमण्डी है और उसमें किसी तरह की कोई मुहब्बत नहीं है और किसी के यहाँ बिना बुलाये चले जाना इस बात का पता देता है कि वह लालची है और ज़िल्लत व रुसवाई की उसे परवाह नहीं। इसी लिए इन चीज़ों से रोका गया है। आजकल यार लोग इसकी परवाह नहीं करते। कहीं तुफ़ेली होकर और किसी जगह छिप छिपा कर खब मज़े ले लेकर खाते हैं।

वलीमे की दावत

४९. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ि० फ़र्माते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, जब तुम वलीमा की दावत में बुलाये जाओ, तो चाहिये उसमें शिरकत करो। —बुखारी

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَاْتِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ اَوْ نَحْوَهُ۔

और मुस्लिम की एक रिवायत में इस तरह लिखा हुआ है—

'तो चाहिए कि ज़रूर क़ुबूल करो, चाहे वह शादी की दावत हो या कोई और।' जैसे अक़ीक़ा, खतना वग़ैरह। वलीमा में शिरकत के बारे में उलेमा का इख्तिलाफ़ है। कुछ उलेमा इस दावत के क़ुबूल करने को वाजिब कहते हैं। और कुछ मुस्तहब (पसन्दीदा) कहते हैं, और यह वाजिब व मुस्तहब शिरकत करना है, खाना ज़रूरी नहीं और वलीमा के अलावा बाक़ी दावतें क़ुबूल करना मुस्तहब हैं। अगर क़ुबूल करेगा सवाब होगा, वरना कोई गुनाह नहीं और दावत का वाजिब होना या मुस्तहब होना कई वजहों से खत्म हो जाता है (१) जबकि खाना शक का हो, यानी उसके हलाल होने का यक़ीन न हो, (२) इस दावत में मालदारों की खुसूसियत हो, (३) दावत में ऐसा आदमी शरीक हो कि उसकी वजह से दावत क़ुबूल करने वाले के, जिस्म को या रूह को तकलीफ़ पहुंचने का डर हो, (४) जब दावत में ऐसे लोग शरीक हों, जिसमें उसका बैठना ग़ैर-

मुनासिब हो, (५) जबकि उसकी दावत कराने का मक़सद यह हो कि मैं जब उनको दावत करूंगा तो वे मेरी बातिल और ना-हक़ बात पर मदद करेंगे, (६) जबकि उस मज्लिस में कोई ग़लत चीज़ हो, नाच, गाना-बजाना या फोटो वग़ैरह उस कमरे में हों और इस ज़माने की अक्सर व बेशतर मज्लिसें ऐसी चीज़ों से खाली नहीं अगर सब नहीं तो कुछ तो उनमें ज़रूर पाई जाती हैं, इसलिए इस वक़्त ज़रूरी है कि दावतों में शिरकत न को जाये। हां, अगर कोई मज्लिस इन बातों से खाली हो तो उस वक़्त दावत क़ुबूल करने में अज्र व सवाब है। मदरसों और खानक़ाहों में और मस्जिद के इमामों में और मौलवियों में इसका बिल्कुल ख्याल नहीं पाया जाता और यही वजह है कि हराम लुक़मा खाकर हमारी रूहानियत कमज़ोर ही नहीं, बल्कि खत्म हो जाती है, न रिश्वत का ख्याल किया जाता है, न सूद का। शराब के ठीकेदारों के यहाँ पहुंच जायें, सिनेमा के मुलाज़िमों और मैनेजरों के यहाँ जाने में उनको शर्म नहीं, रेडियो के मकानदारों के यहाँ खाने में उनको शर्म नहीं। अल्लाह हमारी हिफ़ाज़त फ़र्मा, अल्लाह हमारी हिफ़ाज़त फ़र्मा।

दावत क़ुबूल करो

عن جابرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك۔ (رواه مسلم)

५०. हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है, फ़र्माया रसूल सल्ल० ने, जब कोई तुम को खाने की दावत दे जाये तो चाहिये कि उसको क़ुबूल कर लो और चले जाओ। आगे तुम को अख्तियार है, खाना खाओ या न खाओ। —मुस्लिम

हाँ, अगर रास्ता खतरनाक है या दावत की जगह दूर है तो इस सूरत में क़ूबूल करना ज़रूरी नहीं।

५१. फ़र्माया हुज़ूर सल्ल० ने, जब दो दावत करने वाले आयें तो उस आदमी की दावत क़ुबूल करो, जिसका दरवाज़ा तुम्हारे मकान से ज़्यादा क़रीब हो और अगर एक ने पहल करली तो उस आदमी की दावत क़ूबूल करो, जिसने पहल कर ली।

—इमाम अहमद व अबू दाऊद

(رواہ احمد وابوداؤد)

عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاَجِبْ اَقْرَبَهُمَا بَابًا وَاِنْ سَبَقَ اَحَدُهُمَا فَاَجِبِ الَّذِيْ سَبَقَ۔

ज़ाहिरन यह हुक्म इस सूरत में है जबकि एक वक़्त में दोनों की दावत नहीं खा सकता, अगर दोनों की दावत बिना बोझ के खा सकता है, तो दोनों की दावत क़ुबूल कर सकता है और यह हुक्म हमसाया और पड़ोसी का है और अगर शहर वाले दावत करें तो वहाँ तरजीह और तरह से होगी, जैसे ताल्लुक़ात की खुसूमियत या एक दोनों में मालदार है, एक दीनदार है तो दीनदार की तरजीह होगी और दोनों दावत करने वाले दीनदार हों तो इनमें जो ज़्यादा दीनदार हो, उसकी दावत को ज़्यादा तरजीह दो।

सबसे बुरा खाना

५२. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़र्माते हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, सबसे बुरा खाना, उस

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ (متفق عليه)

वलीमे का खाना है, जिसमें दौलतमन्द तो बुलाये गए हों और ग़रीबों को छोड़ दिया जाये और जिस आदमी ने वलीमे की दावत क़ुबूल न की, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़र्मानी की। —बुख़ारीव व मुस्लिम

इसीलिए ऐसी दावत में शिरकत भी न करनी चाहिए। ऐसे ही वह खाना भी, सबसे बुरा खाना है जो अकेले खा लिया जाए। पुराने अरब की यह आदत थी कि वे अपनी दावतों में सिर्फ़ मालदारों और बड़े आदमियों को बुलाते और उनको अच्छे-अच्छे उम्दा-उम्दा खाने खिला देते और ग़रीबों को बात भी न पूछते, इससे रोका गया। इस वक़्त भी इस मर्ज़ में बहुत से मुसलमान मुब्तला हैं।

खाने के आदाब

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ وَيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ

५३. हज़रत अबू हुरैरह से रिवायत है, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने जब तुम अपने मुसलमान भाई के घर जाओ, तो उसकी ख़ातिरदारी को क़ुबूल कर लो, यानी अगर वह खाना लाकर रखे कि खा लीजिए तो तुम खा लो, लेकिन उससे यह न पूछो कि तुम्हारी कमाई हराम है या हलाल है और उसकी चाय-पानी वग़ैरह पी लो और यह न पूछो कि कैसी कमाई है

और कहां से आई है, बल्कि खामोशी से खा लो, क्योंकि मुसलमान को तो इस सूरत में तकलीफ़ पहुंचने का डर है और यहां वह मुसलमान मुराद है, जो दीनदार मुहताज है, हां अगर फ़ासिक़ मुसलमान हो तो इस सूरत में खाने के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अगर एक आदमी की कमाई मिली-जुली हो, कुछ हलाल, कुछ हराम, तो ऐसी सूरत में यह देखे कि ज़्यादा कमाई उसकी हलाल तरीक़े से है या हराम से, अगर ज़्यादा हिस्सा हलाल है तो खाये, वरना न खाये और कुछ न पूछे।

फ़ुज़ूलख़र्ची की मज्लिसें

५४. हज़रत सफ़ीना से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत अली रज़ि० के यहां मेहमान हुआ। हज़रत अली रज़ि० ने उसके लिए खाना तैयार कराया तो उस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ि० ने फ़र्माया, क्या अच्छा हो कि हुज़ूर सल्ल० तशरीफ़ ले आयें और हम उनके साथ खाना खायें, चुनांचे आप को दावत दी गई और आप तशरीफ़

عَنْ سَفِيْنَةَ اَنَّ رَجُلاً ضَافَ عَلِيَّ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْدَعَوْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ

लाये । आपने दोनों हाथों को दरवाज़े की दोनों चौखटों पर रखा कि सामने से एक बेल.बूटेदार पर्दा नज़र आया, जो हज़रत फ़ातिमा के मकान के किसी हिस्से में सजावट के लिए पड़ा हुआ था । और यह देखकर आपके पीछे दौड़ीं । और आपसे फ़र्माने लगीं, ऐ अल्लाह के नबी ! आप वापस क्यों तशरीफ़ ले जा रहे हैं ? आखिर वापसी की वजह क्या है ? इस पर आपने फ़र्माया कि मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं ज़ीनत वाले घर में दाखिल हूं ।

—मुस्नद अहमद, इब्ने माजा

فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قالت فاطمة فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا۔ (رواه احمد وابن ماجه)

सुब्हानल्लाह ! क्या सादगी थी ! काश कि वही सादगी हम में फिर आ जाए, जिस सादगी की हमारे आक़ा, सरदार दो जहां सल्ल० ने तालीम दी थी । इसके खिलाफ़ हम दावतों शादियों के मौक़ों पर अपने मकानों को कितना सजाते हैं । और ग़ज़ब है अब तो मस्जिदों को भी दुल्हन बनाया जाता है, टाइल लगाते हैं, ऊंचे क़िस्म के रंग व रोग़न करते हैं । याद रखना, यह सब फ़िज़ूलखर्ची है और इस्राफ़ में दाखिल है और नाजायज़ है । मुसलमानों को इससे ज़्यादा बचना चाहिए और ऐसी मज्लिसों में शिरकत करना भी गुनाह ख्याल करें ।

फ़ासिक़ की दावत

५५. इम्रान इब्न हुसैन रज़ि० फ़र्माते हैं कि हुज़ूर सल्ल० ने रोका है

عن عمران بن حصين قال

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفٰسِقِيْنَ (بيهقى)

फ़ासिक़ों की दावत क़ुबूल करने से।
—बैहक़ी

फ़ासिक़ से मतलब बिल्कुल फ़ासिक़ हैं। फ़ासिक़ लुग़त में उस ग्रादमी को कहते हैं। जो हक़ के रास्ते से निकल गया, जैसे शराबी सूदखोर दाढ़ी मुड़ाने वाला, गन्दी बातें करने ग्रौर गालियाँ बकने वाला वग़ैरह-वग़ैरह, तो ऐसे लोगों की दावत क़ुबूल न की जाये।

हमारे उलेमा ग्रौर पढ़ने वाले लड़के ख्याल करें, हदीस क्या कह रही है ग्रौर उनका ग्रमल क्या है।

शेख़ी मारने वालों की दावत

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا - (بيهقى)

५६. फ़र्माया ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० ने, जो दो ग्रादमी ग्रापस में बड़ाई के लिए खाना तैयार करायें, न उनकी दावत क़ुबूल करो ग्रौर न उनका खाना खाग्रो।

यानी ज़िद बहस में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करें। जैसे एक तीन क़िस्म के खाने तैयार कराये, तो दुसरा उसके मुक़ाबले में चार क़िस्म के खाने तैयार कराये या एक ग्रादमी ने पचास ग्रादमियों की दावत की, दूसरे के मुक़ाबले में सौ ग्रादमियों को खाना खिलाये ग्रौर सच तो यह है कि यही तबाही की वजह है।

—

नाम के लिए दावत

५७. हज़रत इब्ने मसऊद कहते हैं कि फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, शादी के मौक़े पर पहले दिन का खाना हक़ है। दूसरे दिन का सुन्नत है, तीसरे दिन का नाम धोखा देने औ पैदा करने के लिए है, ताकि लोग सुनें कि यहाँ फ़्लाँ आदमी ने तीन दिन खाना दिया और तीन दिन तक बारात रखी। और जो नाम पैदा करने के लिए काम करता है, अल्लाह उसको धोखा देने की सज़ा देता है। —तिर्मिज़ी

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ اَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِيْ سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ-

(رواه الترمذی)

तीसरे दिन की दावत क़ुबूल करना हराम है, इसलिए उसको क़ुबूल भी न किया जाये, (१) वलीमा उस खाने को कहते हैं। जो निकाह-शादी के मौक़े पर खिलाया जाता है। यह सुन्नत है खाना और इसका खिलाना, (२) बच्चा पैदा होने के वक़्त, (३) खतना के वक़्त, (४) मकान बनवाने की खुशी में, (५) सफ़र से आने के वक़्त, (६) मुसीबत दूर करने के लिए, (७) अक़ीक़े में बच्चों का नाम रखते वक़्त, (८) जो खाना बिना किसी वजह के तैयार किया जाए और उसमें दावत की जाए, ये सब पसन्दीदा क़िस्में हैं। करो सवाब वरना कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि हलाल कमाई से हो और नीयत सवाब की हो, वरना ये खाने भी जायज़ न होंगे।

—मजमउल् बिहार

अपनी औरतों में इन्साफ़ करना

५८. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़र्माते हैं कि जब हुज़ूर सल्ल० की वफ़ात हुई, तो आपकी नौ बीवियां थीं। जिनको छोड़कर आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और आप इनमें से आठ के लिए बराबर बांटा करते।

—बुख़ारी व मुस्लिम

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَۃٍ کَانَ یَقْسِمُ مِنْھُنَّ لِثَمَانٍ۔

(بخاری ومسلم)

और वे इस तरह हैं—

१. हज़रत आइशा रज़ि०, २. हज़रत हफ़्सा रज़ि० ३. हज़रत उम्मेहबीबा रज़ि०, ४. हज़रत सौदा रज़ि०, ५. हज़रत उम्मे सलमा रज़ि०, ६. हज़रत सफ़िया रज़ि०, ७. हज़रत मैमूना रज़ि०, ८. ज़ैनब रज़ि०, ९. हज़रत जुवैरिया रज़ि०, इनमें से आठ के लिए नौबत और बराबरी की तक़्सीम थी, और हज़रत सौदा रज़ि० ने बुढ़ापे की वजह से ख़ुशी के साथ अपने हक़ों को हज़रत आइशा रज़ि० के लिए बख़्श दिये थे। इस तरह एक औरत अपनी सौत के लिए अपना हक़ छोड़ सकती है, बशर्ते कि वह उसकी रज़ामन्दी के साथ हो और फिर आप चाहे तो अपना हक़ वापस भी कर सकती है। अगर किसी आदमी के पास एक से ज़्यादा बीवियां हों, तो उसके ज़िम्मे वाजिब है कि उनमें इन्साफ़ करे और हर औरत को बराबर हिस्सा पहुंचाए। जैसे एक रात एक औरत के पास गुज़ारे, दूसरी रात दूसरी के यहां, या एक हफ़्ता करके यहां और दूसरा हफ़्ता दूसरी के यहां और तक़्सीम करने के बाद जो दिन या हफ़्ता जिस औरत के हफ़्ते में आये, उसमें बिना उसकी रज़ामन्दी दूसरी औरत

के यहां रात गुज़ारनी जायज़ नहीं, इस तरह एक रात में दो औरतों का जमा करना भी दुरुस्त नहीं, हां, अगर दोनों की रज़ामन्दी हो तो कुछ हरज नहीं। और सफ़र में शौहर जिसको चाहे अपने साथ क़ुरआ निकाल कर ले जा सकता है। और दिन रात के ताबे होगा, यानी जिसके लिए रात है, उसी के लिए दिन भी है। इसी तरह पहनाने में और खिलाने में, मकान और खर्चे में बराबरी करे, जैसे अगर एक बीवी को पचास रुपया महीना देता है, तो दूसरी को उतना ही देना ज़रूरी है। इसमें कमी-बेशी जायज़ नहीं। अगर एक बीवी को दो रुपए गज़ का कपड़ा बनाकर दिया है तो दूसरी को भी उसी क़ीमत का बना कर देना वाजिब है। यह नहीं कि एक को बढ़िया बना कर दिया, दूसरी को मामूली बना कर दिया। अगर एक बीवी के मकान में बिजली का पंखा है और दूसरी के नहीं, तो इस सूरत में गुनहगार होगा। उलेमा ने यहां तक लिखा है कि अगर एक बीवी के यहां मग़रिब बाद आया, दूसरी के यहाँ इशा के बाद गया, तो ऐसी सूरत में भी गुनहगार होगा। एक बीवी की बारी में दूसरी के साथ जिमाअ (साथ सोना) भी जायज़ नहीं कि मौक़ा पाकर जिमाअ कर ले। इसी तरह एक की बारी में दूसरी के यहां रात को जाना भी दुरुस्त नहीं, हां, अगर दूसरी बीमार हो तो सिर्फ़ उसकी देख-भाल और पूछने के लिए ज़रूर जा सकता है और अगर शौहर अपने घर में बीमार हो तो हरेक औरत को उसकी बीमारी में जाना ज़रूरी है, यह नहीं कि एक बीवी से खिदमत कराये, क्यों कि इस शक्ल में खिदमत की वजह से एक की मुहब्बत बढ़ जायेगी और दूसरी की मुहब्बत घट जायेगी और इससे बराबरी में फ़र्क़ पड़ जाने का बड़ा डर है। दुर्रे मुख़्तार

हज़रते अक़्दस मौलाना थानवी रह० की दो बीवियां थीं। बन्दे ने उनकी खानक़ाह में खुद देखा है कि तराज़ू लटकी हुई थी जब भी कोई चीज़ आती, तो आधी-आधी करके दोनों घर में भिजवा

देते। एक हफ़्ता एक के यहां ठहरते और उनके यहां खाना-पीना होता दोनों के मकान अलग-अलग थे। फ़र्माया करते मैं अपनी आमदनी के तीन हिस्से कर लेता हूं। एक हिस्सा एक घर में और एक हिस्सा दूसरे घर में और एक हिस्सा मैं खुद अपने लिए रख लेता हूं। यक़ीनी जरियों से मालूम हुआ कि हजरते अक़्दस रह० अपने हिस्से को बेवाओं में और पढ़ने वाले लड़कों में बांट दिया करते थे। और बावजूद इतनी बरबारी के फ़र्माया करते थे कि भाई मेरा निजी मश्विरा अपने दोस्तों को यही है कि दो शादी न करनी चाहिए। अम्न और चैन की जिन्दगी एक ही बीवी के साथ गुज़रती है। हां अगर वह बीमार हो और उसके बाल-बच्चा पैदा न हो, तो इस शर्त के साथ कि दोनों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगा, दूसरी शादी कर सकता है।

عَنْ اَبِیْ بَکْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ حِیْنَ تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَۃَ وَاَصْبَحَتْ عِنْدَہٗ قَالَ لَھَا لَیْسَ بِکِ عَلٰی اَھْلِکِ ھَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَکِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَ ھُنَّ وَاِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَکِ وَدُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ وَفِیْ رِوَایَۃٍ اَنَّہٗ قَالَ لَھَا لِلْبِکْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّیِّبِ ثَلٰثٌ (رواہ مسلم)

५९. हज़रत अबू बक्र इब्न अब्दुर्रहमान फ़र्माते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने जब उम्मे सलमा से शादी की, तो रात गुज़ारने के बाद सुबह को उनसे फ़र्माया, तेरी वजह से तेरे खानदान पर कोई धब्बा तो नहीं आयेगा, अगर तेरा मन्शा हो तो सात रात तेरे पास रहूं और सात रात दूसरी बीवियों के यहां और अगर तू यह चाहे कि मैं तीन रात तेरे पास रहूं और इसी तरह बाक़ी बीवियों के पास दौरा करूं, तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० ने कहा कि हुज़ूर! मेरे पास तीन रातें गुज़ारिये।

—मुस्लिम शरीफ़

तुम्हारे ख़ानदान पर धब्बा नहीं आयेगा यानी यह जो तक़सीम कर रहा हूं, यह इसलिए नहीं कि, तुमसे मुझको मुहब्बत नहीं है, बल्कि इसलिए कि शरई हुक्म इसी तरह है कि बराबर तक़सीम करूं।

हुज़ूर की सफ़री सुन्नतें

६०. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुज़ूर सल्ल० जब सफ़र का इरादा फ़र्माते तो अपनी बीवियों के नाम पर क़ुरआ डाला करते थे। अब क़ुरआ में जिसका नाम निकल आता, उसको अपने साथ सफ़र में ले जाते —बुख़ारी व मुस्लिम

عَنْ عَائِشَةَ رض كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ۔

(بخاری ومسلم)

६१. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुज़ूर सल्ल० अपनी बीवियों के बीच बराबर तक़सीम करते थे और उसमें हर तरह की बराबरी फ़र्माते थे, ज़रा भी कमी-बेशी न करते और उसके साथ यह फ़र्माते, ऐ अल्लाह ! जितनी मेरी ताक़त थी, मैंने अपनी बीवियों के दर्मियान बराबर की तक़सीम की और जो मेरे क़ब्ज़े में नहीं, उसका तू मालिक है। इसमें मेरी पकड़ न करना, मैं इन्सान हूं, अगर फिर भी

عَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (ترمذی۔ ابن ماجه۔ نسائی)

कमी रह जाए तो माफ़ करना क्योंकि दिल तेरे क़ब्ज़े में है। मुहब्बत कम-ज़्यादा हो सकती है। —तिर्मिज़ी, —अबूदाऊद, नसई शरीफ़, इब्ने माजा

हुज़ूर का अमल

६२. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि जिस बीमारी में आपकी वफ़ात हुई, उसमें हर दिन बीवियों से पूछते कि मैं कल कहां रहूंगा, जिससे आपका मन्शा यह था कि आइशा रज़ि० वाला दिन कब आयेगा, क्योंकि हज़रत आइशा रज़ि० से आप को ज़्यादा मुहब्बत थी और यह जितनी हुज़ूर के मिज़ाज को पहचानती थीं, उतनी और कोई न थी और बीमार का क़ायदा यह है कि उसकी देख-भाल करने वाले जितने ही मिज़ाज को पहचानने वाले और तबीयत के जानकार होंगे, उसको उतनी ही राहत पहुंचेगी और बीमारी की तेज़ी कम होगी इसी लिए बार-बार पूछने पर आपकी तमाम बीवियों ने ख़ुशी के साथ आपको अख़्तियार दे दिया कि जहां मुनासिब फ़रमायें, तशरीफ़ रखें चुनांचे बीवियों

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ لَهُ اَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ وَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا۔

(رواہ البخاری)

की इजाज़त मिल जाने पर हज़रत आइशा रज़ि० के कमरे में........ हुज़ूर सल्ल० ने वफ़ात पाई और वहीं दफ़न भी हुए। —बुखारी

अब ग़ौर कीजिए कि सरकार बीमार हैं बेचैन हैं, जी चाहता है कि हज़रत आइशा रज़ि० बीमारी में देख-भाल करें, लेकिन सरकार हैं कि इशारे में पूछते हैं कि कल मैं कहां हूंगा, लेकिन साफ़ नहीं फ़र्माते हज़रत आइशा रज़ि० के यहां रहना व क़ियाम करना चाहते हैं। सुब्हानल्लाह क्या शान थी कि दुनिया से रुख़्सत हो रहे हैं, लेकिन शरीअत का दामन फिर भी हाथ से न छूटा। अगर आप में इस दर्जे की ताक़त नहीं, तो दो शादियां करनी जायज नहीं।

क़ियामत के दिन एक आदमी

६३. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़र्माते हैं, नबी सल्ल० ने फ़र्माया, जिसकी दो औरतें हों और उन दोनों के दर्मियान इन्साफ़ नहीं किया, वह क़ियामत को इस हालत में आयेगा कि उसका आधा धड़ गिरा हुआ होगा, यानी मफ़्लूज होगा।

—तिर्मिज़ी शरीफ़, इब्ने माजा, नसई

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رض عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ یَعْدِلْ بَیْنَهُمَا جَاءَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَشِقُّهٗ سَاقِطٌ۔ (ترمذی شریف۔)

और यह सज़ा दो ही औरतों की बे-इन्साफ़ी करने पर ख़ाली नहीं है, अगर तीन हों या चार हों और उनमें बे-इन्साफ़ी करे तब भी इसी सज़ा का हक़दार होगा और नई और पुरानी मुसलमान औरत और ग़ैर मुस्लिम किताब वाली भी उसमें बराबर हैं, यानी हरेक के लिए

बराबरी करनी ज़रूरी है। वरना अगर एक वे उम्र की है और दूसरी ज़्यादा उम्र की और शौहर नई उम्र वाली के यहां ज़्यादा आता-जाता है और पुरानी के यहां आना जाना उससे कम हो, तो शौहर इस हालत में गुनहगार होगा, या जैसे एक आदमी के निकाह में एक मेम ईसाई औरत है और दूसरी मुसलमान! अब वह मुसलमान औरत के यहां ज़्यादा आता-जाता है और मेम को काफ़िर समझ कर उसके यहां कम आता-जाता है, वह भी गुनहगार और सजा का हक़दार है।

औरतों को सुधारने का तरीक़ा

६४. हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत है, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, औरतों के हक़ों में भलाई करने के बारे में मेरी वसीयत क़ुबूल करो, इसलिए कि औरतें पसली से पैदा की गई हैं और टेढ़ी हैं और सबसे ज़्यादा टेढ़ी ऊपर की पसली है। तो अगर तू पसली सीधी करना चाहेगा, तो वह टूट जाएगी और अगर उस पर छोड़ दोगे तो वह हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। तो तुम क़ुबूल करो औरत के हक़ में मेरी वसीयत —बुख़ारी व मुस्लिम

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

क्योंकि हज़रत हव्वा, हज़रत आदम की ऊपर की पसली से पैदा की गयीं और वह सबसे ज़्यादा टेढ़ी है। पस औरतों की बुनियाद ही टेढ़ी है, कोई उसको बदल नहीं सकता। टेढ़ी पसली का हाल यह है

कि अगर उसको सीधी करने की कोशिश करोगे, टूट जायेगी और अगर उसके हाल पर छोड़ दोगे तो वह हमेशा टेढ़ी रहेगी। इसी तरह औरतों का हाल है कि उनके अन्दर पैदाइशी व नेचुरल तरीक़े से अमल व अख़्लाक़, आदतें और तौर-तरीक़े में टेढ़ है। अगर मर्द चाहें कि उसको बिल्कुल सीधा व दुरुस्त करें, तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि उसको तोड़ डालेंगे यानी तलाक़ पर नौबत पहुंचेगी। इसलिए इनसे फ़ायदा उठाना मुम्किन नहीं, जब तक कि उनकी टेढ़ से आंख न बचा ली जाये और उनके टेढ़ेपन को नज़र-अन्दाज़ न किया जाए। हासिल यह हुआ कि शरीअत के दायरे में उनसे अपने मामले अच्छे रखो और उनके टेढ़ेपन पर सब्र करो और उनसे यह उम्मीद न रखो कि वे सब काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक़ करें।

६५. हज़रत अबू हुरैरह कहते हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने बे-शक औरत पसली से पैदा की गई और औरत तुम्हारे बतलाये हुए रास्ते पर कभी सीधी न होगी, तो अगर तुम औरत के साथ फ़ायदा उठाना चाहो तो इस हालत में उठा सकते हो कि उसका टेढ़ापन उसमें बाक़ी रहे, लेकिन अगर तुम तो यह चाहा कि उसकी टेढ़ दूर करके फ़ायदा उठाओ, तो सीधा करते-करते तुम उसको तोड़ दोगे और उसका तोड़ना उसकी तलाक़ है।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ
مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِیْمَ لَكَ
عَلٰی طَرِیْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ
بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ
وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِیْمُهَا كَسَرْتَهَا
وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا۔
(رواه مسلم)

यानी उसके हालात ज़रूर बदलते रहेंगे, कभी ख़ुश होगी कभी ना-ख़ुश कभी शुक्रगुज़ार होगी और कभी नहीं। कभी तुम्हारा हुक्म

मानेगी, कभी नहीं, कभी थोड़े पर सब्र करेगी, कभी लालच करेगी और बात-बात पर ताने देगी और तुम्हारी बात नहीं मानेगी।

६६. फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, कोई मुसलमान मर्द अपनी औरत से दुश्मनी न करे, क्योंकि अगर कोई बातें उसकी नागवार होगी, तो दूसरी ज़रूर उसको ख़ुश कर देगी।

—मुस्लिम

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

(رواه مسلم)

क्योंकि औरत की तमाम आदतें और अख़्लाक़ बुरे नहीं और अगर कुछ काम बुरे होते हैं, तो कुछ अच्छे भी ज़रूर होते हैं, तो हमको उसके अच्छे अख़्लाक़ और उसकी भलाइयों पर नज़र रखनी चाहिए और उसकी बुरी आदतों पर सब्र करना चाहिए और उनकी तकलीफ़ों और नुक़्सानों को बर्दाश्त करना चाहिए और अच्छी तरह उनके साथ ज़िन्दगी गुज़ारो और इस हदीस में इस बात का इशारा है कि बे-ऐब दोस्त का मिलना ना-मुम्किन और मुश्किल है और अगर कोई आदमी बे-ऐब उसकी तलाश करेगा, तो वह हमेशा बे-साथी रहेगा और ऐसे आदमी का घर भी आबाद नहीं होगा।

औरतों को मारो नहीं

६७. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मआ कि रिवायत है कि फ़र्माया हुज़ूर सल्ल० ने, न मारो तुम अपनी औरत को, जिस तरह तुम अपने ग़ुलाम को मारते हो और फिर रात को उससे

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ زَمْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ

सोहबत करो। —बुखारी व मुस्लिम

ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ اٰخِرِ الْيَوْمِ۔ (بخاری ومسلم)

यानी यह मुनासिब नहीं कि जिसके साथ दिन में यह बात हो और रात में वह, तो अपनी बीवी के साथ रहो। कुछ शौहर निहायत बे-दर्दी से अपनी बीवियों को मारते हैं और बात मामूली होती है, जैसे नमक कड़वा क्यों है, सालन में मिर्च ज़्यादा क्यों डाली, रोटी वक़्त पर तैयार क्यों नहीं की। याद रखिए औरत आपके सालन और रोटी की ज़िम्मेदार नहीं। मर्दों पर औरत का एहसान है कि वह रोटी पका देती है, बिस्तर बिछा देती है, कपड़े साफ़ कर देती है, कपड़े साफ़ कर देती है, वरना शरअन उसके ज़िम्मे यह नहीं, इस-लिए इन बातों में उन पर किसी किस्म की सख़्ती करनी दुरुस्त नहीं।

प्यारे नबी सल्ल० का तरीक़ा

६८. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती है, कि क़सम, मैं हुज़ूर सल्ल० के घर में गुड़ियों के साथ खेला करती थी जब हुज़ूर सल्ल० तश्रीफ़ लाते तो मेरी सहेलियां शर्म की वजह से आपसे छिप जातीं और हमारा खेलना बन्द हो जाता, तब हुज़ूर सल्ल० उनको मेरे पास भेज देते, हम फिर खेलना शुरू कर देते। —बुखारी व मुस्लिम

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ۔ (متفق علیہ)

इस हदीस में बयान किया गया है कि औरतों से अच्छी तरह पेश आना चाहिए और इनका ख़्याल रखना चाहिए।

६९. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं, ख़ुदा की क़सम मैंने नबी सल्ल० को देखा कि मेरे मकान के दरवाज़े पर खड़े हुए हब्शियों की बर्छेबाज़ी को देख रहे थे और आपकी हालत थी कि अपनी चादर से मेरी ओर ओट कर रहे थे ताकि मैं आपके कन्धे और कानों के बीच से हब्शियों के इस खेल को देखूं, और आप इसी हालत में मेरी वजह से बहुत देर तक खड़े रहे ताकि मैं जी भर के अच्छी तरह देख लूं और जब तक मेरा जी न भर गया, आप बराबर चादर की ओट किए खड़े रहे और मुझे तमाशा दिखाते रहे। जब मेरा जी भर गया, मैंने देखना छोड़ दिया, आप उस वक़्त वहां से वापिस हुए, यह वाक़िया पर्दे की आयत आने से पहले हुआ।

—बुख़ारी व मुस्लिम

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ عَلٰى بَابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ لِاَنْظُرَ اِلٰى لَعِبِهِمْ بَيْنَ اُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ اَجْلِيْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّتِيْ اَنْصَرِفُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ . (متفق عليه)

इस वाक़िआ से हुज़ूर सल्ल० का अपनी बीवियों के साथ अच्छे अख़्लाक़ से पेश आना और उनके दिल रखने की कोशिश करना ज़ाहिर होता है। इसलिए हमको भी अपनी बीवियों का ख़्याल जितना भी हो, रखना चाहिए। यही चीज़ ऐसी है, जिससे हमारे ताल्लुक़ात बेहतर से बेहतर हो सकते हैं और ज़िन्दगी सुकून के साथ गुज़र सकती है. हम उनका दिल रखने की कोशिश करें, वे हमारी करें और यह जभी हो सकता है जबकि हम अपने मामले में, उठने बैठनेमें, सोने में, जागने में, अन्दर बाहर के हर मामले में हुज़ूर नबी

करीम सल्ल० की जिन्दगी को हर वक़्त नज़र में रखें और अपनी जिन्दगी को उसी तरीक़े पर चलाने की कोशिश करें।

७०. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि एक बार हुज़ूर सल्ल० ने मुझ से फ़र्माया कि आइशा ! जब तू मुझ से नाराज़ होती है, उसका भी मुझ को इल्म हो जाता है और तू खुश होती है तब भी मुझे इल्म हो जाता है। मैंने पूछा, हुज़ूर ! किस बात से आप पहचान जाते हैं। जब तू मुझसे खुश होती है, तो इस तरह क़सम खाती है, 'क़सम है मुहम्मद के रब की' और जब तू मुझ से नाराज़ होती है तो इस तरह क़सम खाती है, 'क़सम इब्राहीम के रब की'। मैंने कहा बेशक ! इसी तरह है। खुदा की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल ! जब आपसे नाराज़ होती हूं, तो सिर्फ़ आपका नाम लेना छोड़ देती हूं। हां, आपकी मुहब्बत से दिल हमेशा भरा रहता है और उसमें किसी भी क़िस्म का कोई फ़र्क़ नहीं आया। —बुखारी, मुस्लिम

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي لَاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَاِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبٰى فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبٰى قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَهْجُرُ اِلَّا اسْمَكَ ۔ (متفق عليه)

यह हदीस आपकी बेतकल्लुफ़ी की दलील है और इस बात को भी कि मियां-बीवी का मामला कुछ इस क़िस्म का है कि उसमें कभी न कभी खिंचाव पैदा होना ज़रूरी है। जब हुज़ूर सल्ल० जैसे अख़्लाक़ वाले मर्द और हज़रत आइशा रज़ि० जैसी समझदार बीवी में यह बात हो सकती है, तो हम क्या हमारे अख़्लाक़ क्या, इसलिए

इस तरह के खिलाव पर दोनों मियां-बीवी को ख्याल न करना चाहिए ?

७१. हज़रत आइशा फ़रमाती हैं हुज़ूर सल्लं० के साथ में सफ़र में थी। मुझे क्या सूझी कि हुज़ूर के साथ दौड़ना शुरू किया। आखिरकार मैं हुज़ूर से आगे निकल गयी। इसके बाद मैं कुछ भारी हो गई थी, फिर हमारी आपस में दौड़ हुई, उस वक़्त हुज़ूर मुझ से आगे निकल गए। इस पर हुज़ूर ने फरमाया, मेरा इस वक़्त तुम से बढ़ जाना इसलिए हुआ कि पहले तू मुझ से आगे निकल गई थी, अब मैं तुझसे आगे निकल गया।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِيْ قَالَ هٰذَا بِتِلْكَ السَّبْقَةِ

(ابوداؤد)

७२. हज़रत आइशा फ़र्माती हैं कि हुज़ूर सल्ल० तबूक या हुनैन की लड़ाई से वापस तशरीफ़ लाये और मेरे घर के एक ताक़ में पर्दा पड़ा हुआ था। यकायक हवा चली, उससे पर्दे का एक कोना उठ गया और वहीं पर मेरी गुड़ियां रखी हुई थीं आपने देख कर फ़र्माया ए आइशा ! यह क्या ? मैंने कहा, हुज़ूर ! यह मेरी गुड़ियां हैं और उनमें एक घोड़ा भी रखा हुआ था और उसके दो पर थे। उस पर भी हुज़ूर सल्ल० की नज़र पड़ गई। आपने फ़र्माया अच्छा ! यह तो

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَوْ حُنَيْنٍ وَفِيْ سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيْحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِيْ وَرَاٰى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ

مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرٰى وَسْطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هٰذَا الَّذِىْ عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهٗ جَنَاحَانِ قَالَتْ اَمَا سَمِعْتَ اَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا اَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتّٰى رَاَيْتُ نَوَاجِذَهٗ

(رواہ ابوداؤد)

बताओ गुड़ियों के अन्दर क्या चीज़ रखी हुई है ? हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि मैंने जवाब दिया कि हुज़ूर ! यह घोड़ा है। इस पर हुज़ूर ने फ़रमाया कि घोड़े के भी पर होते हैं ? ये पर कैसे ? आइशा कहती हैं कि मैंने कहा, क्या आपने सुना नहीं कि हज़रत सुलैमान के घोड़ों के पर होते थे। इस पर हुज़ूर सल्ल० को बहुत हंसी आई। इतना हंसे कि आपके अन्दर के दांत नज़र आ गये।

इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि अपनी बीवियों से दिल्लगी करना, उनसे हंसना-बोलना, हंसी-मज़ाक़ करना और उनकी जायज़ बातों से दिलचस्पी लेना सुन्नत है। ख्वामख्वाह मुंह चढ़ाकर बैठना, घर में जाकर चुप-चाप रहना, ताकि बीवी पर रौब रहे, ठीक नहीं, बल्कि जहां तक हो सके, उसे अपने से बे-तकल्लुफ़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ وَاِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ۔

(ابن ماجہ وترمذی)

७३. हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, तुममें बेहतरीन वह है, जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक व बर्ताव करे, क्योंकि मैं तुम सब में ज़्यादा बेहतर हूं अपनी बीवी-बच्चों के साथ।

—इब्ने माजा व तिर्मिज़ी

यानी मेरा बर्ताव अपनी बीवियों के साथ तुम सब में बेहतर है और तुम पर मेरी बात मानना और मेरे पीछे चलना ज़रूरी है।

मोमिन की पहचान

७४. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं, आपने फ़र्माया ईमान में सबसे ज़्यादा मुकम्मल वह आदमी है। जिसकी आदत व अख़्लाक़ सबसे अच्छे हों और अपनी बीवी के साथ सबसे ज़्यादा नर्मी और अच्छा बर्ताव करता हो।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

क्योंकि जितना ईमान कामिल होगा, उतना ही अच्छे अख़लाक़ वाला होगा और वह अपने बाल-बच्चों पर ख़ास तौर से उतना ही अच्छा बर्ताव और नर्मी करने लगता है।

७५. हज़रत अबू हुरैरह फ़र्माते हैं कि हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया, ईमान में सबसे मुकम्मल आदमी वह है, जो सबसे ज़्यादा अख़्लाक़ वाला हो तुममें बेहतर वह है, जो आदमी औरतों के लिए बेहतर हो। —तिर्मिज़ी

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ۔

(رواه الترمذى)

क्योंकि वे बहुत ही रहम के क़ाबिल हैं। एक तो इसलिए कि वे बेचारियां कमज़ोर होती हैं, दूसरे वे मजबूर और बे-बस होती हैं। और मर्द अख़्तियार और ताक़त वाला होता है।

बीवी को किस तरह रखें

७६. हज़रत लक़ीत फ़र्माते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्ल० की ख़िद्मत में अपनी बीवी की शिकायत की कि हुज़ूर! वह ज़ुबांदराज़ है और मेरे सामने बकवास और बदकलामी करती रहती है। आपने फ़र्माया जब निबाह नहीं कर सकता तो तलाक़ दे दे, क्योंकि तेरी शिकायत से मालूम होता है कि तू उसकी दी हुई तकलीफ़ों पर सब्र नहीं कर सकता है, तो ऐसी शक्ल में उसका तलाक़ देना ही मुनासिब है। इस पर मैंने कहा—'हुज़ूर एक तो उसके बच्चे का ख़्याल है, दूसरे एक मुद्दत तक वह मेरे पास भी रह चुकी है, इसीलिए अलग करने का दिल नहीं चाहता। इस पर आपने फ़र्माया, अच्छा तो फिर उसको अच्छे अख़्लाक़ की नसीहत करो अगर इसमें कुछ भलाई होगी तो वह तुम्हारा कहना मान लेगी और तुम्हारी नसीहत पर

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ لِي امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقْهَا قُلْتُ اِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُولُ عِظْهَا فَاِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ اُمَيَّتَكَ -

(رواه ابوداؤد)

अमल करेगी, लेकिन उसको बांदी की तरह मारना जायज़ नहीं—अबू दाऊद

७७. हज़रत मुआविया क़ुशैरी फ़र्माते हैं कि मैंने हुज़ूर की ख़िदमत में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल ! यह तो बताइये कि हमारे ऊपर हमारी बीवी के क्या हुक़ूक़ हैं ? आपने फ़र्माया, १. जब तू खाये उसको भी खिलाये, २. जब तू कपड़े बनाये उसको भी बनाकर दे, ३. न मारो उसके चेहरे पर, ४. न गाली दो उसको, ५. और न छोड़ तू उसको, लेकिन अगर उस में मसलहत हो तो उसका बिस्तर अलग कर दे, यह नहीं कि तुम दूसरी जगह सो जाओ या नाराज़ होकर उसको उसके बाप के यहां पहुंचा दो, बल्कि रखो अपने मकान में, उसके पास न सोओ, बल्कि वह अलग आराम करे और तुम अलग।

—मुस्नद अहमद, अबू दाऊद

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ .

(مسند احمد ابن ماجه)

फ़तावा क़ाज़ी ख़ां में लिखा है, मुसलमान शौहर अपनी बीवी को चार बातों पर मार सकता है :—

१. यह कि शौहर चाहता हो कि बनाव सिंगार करे, लेकिन वह यों ही मैली-कुचैली रहे।

२. यह कि शौहर सोहबत करने का इरादा करे और वह बिला शरई वजह के न माने।

३. यह है कि हैज़ और नापाकी से ग़ुस्ल न करे और यों ही फिरती रहे।

४. यह कि नमाज़ छोड़ने की आदी हो। यानी इन चार शक्लों में, अलावा चाल-चलन खराब होने के मारना जायज़ नहीं और अगर अपने खाने-पीने पर, अपनी मां-बाप की बात न मानने पर, घर की सफ़ाई न करने पर या उससे किसी नुक़्सान हो जाने पर या अज़ाब देने पर या ख़ामख़ाह ही ज़रा-ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाने की वजह से अगर औरत को मारा, तो मर्द ने गुनाह किया और अल्लाह के यहां उसका जवाब देना पड़ेगा और ख़ूब समझ लो कि अल्लाह के यहां ज़ुल्म नहीं। आखिर बेचारी औरत भी अल्लाह की मख़्लूक़ हैं। हदीस में आता है, किसी बकरी ने दूसरी बकरी के सींग मारा तो क़ियामत के दिन अल्लाह उसकी भी पकड़ करेगा।

इसलिए हर मुसलमान शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के हुक़ूक़ अदा करे, जैसे कि सरकारे दो आलम सल्ल० ने हुक़ूक़ अदा करने की हिदायत फ़र्माई है। कुछ मर्द ख़ामख़ाह ही औरतों को गालियां देनी शुरू कर देते हैं, यह भी नाजायज़ है। मुसलमान औरत को गालियां देने वाला शौहर फ़ासिक़ और अगर वह नमाज़ पढ़ाये, तो उसकी नमाज़ मकरूह होती है। इसलिए हमको औरतों के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए।

मानने लायक़ वाक़िआ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعٰى غَنَمًا لِّيْ قِبَلَ اُحُدٍ وَّالْجَوَّانِيَّةِ

७८. हज़रत मुआविया इब्नुल हकम रज़ि० फ़र्माते हैं कि मेरी एक लौंडी थी मैंने उसके ज़िम्मे बकरियां चराने की ड्यूटी लगा रखी थी। एक बार का वाक़िआ है, वह लौंडी उहुद

فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا فَقَالَ ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ـ

और जवानिया के आस-पास बकरियां चरा रही थी कि भेड़िया आकर मेरी एक बकरी रेवड़ में से ले गया। मैंने जब यह वाक़िआ सुना तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि उसे मारूं। मुझ से सब्र न हो सका, यहाँ तक कि एक तमाँचा मैंने उसे मार ही दिया। इस काम का पछतावा मेरे दिल में पैदा हुआ कि यह क्या हो गया। इसके बाद हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर होकर सारा क़िस्सा कहा। आप को मेरी यह बात बड़ी नापसन्द हुई। आप ने फ़रमाया, तू ने बड़ा गुनाह किया। मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर हम को आज़ाद कर दो। हुज़ूर ने फ़र्माया, उसके मेरे पास ले आओ। मैं उसे हुज़ूर सल्ल० की ख़िद्मत में ले गया। हुज़ूर ने उससे पूछा कि अल्लाह वहाँ है? उसने कहा, आसमान में। आपने फ़र्माया मैं कौन हूं? उसने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल। इस पर हुज़ूर सल्ल० ने मुझसे फ़र्माया कि इसको आज़ाद कर, यह मुसलमान है।

इस हदीस से साबित हुआ कि लौंडी को नुक़सान पर मारना भी न दुरुस्त है और न मुनासिब। ख़ुद सहाबी का एक तमांचा मार कर शर्मिन्दा होना और उस पर सरकार दो आलम सल्ल० का नाराज़ होना और यह मालूम करके कि लौंडी मुसलमान है, आज़ाद

करने का हुक्म देना हालांकि लौंडी खरीदी हुई होती है, उसका तमाम हिस्सा खरीदा हुआ होता है, उसके हुक़ूक़ हमारी बीवियो से कम होते हैं, उसकी इद्दत आधी होती है, उसकी तलाक़ दो होती है, वग़ैरह-वग़ैरह तो अब मुसलमान शौहरों पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी बीवियां उनकी मिल्कियत नहीं, वे उनकी खरीदी हुई नहीं होतीं फिर अपने नुक़सान पर औरतों को मारना कैसे दुरुस्त हुआ। कुछ मर्द जिनका तमाँचा मारना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, यहां तक ज़ुल्म करते हैं कि उनको जूतों और लकड़ियों और बेतों से मारते हैं, जब कि वे दीनदार भी कहे जाते हैं। यह बड़ा ज़ुल्म है और अल्लाह के यहां जवाबदेही करनी पड़ेगी। अपने निजी मामलों में अलावा उन चार शक्लों के नाजायज़ है। हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर सरवरे कायनात सल्ल० की ख़िद्मत में हफ़्ते में दो बार उम्मत के अमल पेश होते हैं और आपको यह भी मालूम हो गया कि लौंडी के मारने से हुज़ूर सल्ल० को कितना दुख हुआ, तो अपनी बीवी के मारने से हुज़ूर सल्ल० को किस क़दर रंज पहुंचेगा, क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को मारता है, फरिश्तों के ज़रिए हुज़ूर सल्ल० को मालूम हो जाता है। अब हुज़ूर सल्ल० जैसे मेहरबान को अगर आप रंज और तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी बीवियों को मारिये, वरना जो मुसलमान शौहर ऐसा करता है, उसको तौबा करनी चाहिए और पिछली बातों के बारे में अपनी बीवी से माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बन्दों के हुक़ूक़ हैं जब तक बन्दा माफ न करेगा, सिर्फ़ तौबा से माफ़ी न हो सकेगी।

किस वक़्त तलाक़ न दी जाए

७६. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि० ने अपनी बीवी को हैज़ की

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ

طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ
فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا
ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ
فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا
فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ
أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (بخاری ومسلم)

हालत में तलाक़ दे दी । इस तलाक़ का क़िस्सा उनके वालिद हज़रत उमर रज़ि० ने अल्लाह के रसूल सल्ल० की खिद्मत में बयान किया कि हुज़ूर ! अब्दुल्लाह ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी आप ऐसी हालत में तलाक़ देने से बहुत गुस्सा हुए और फ़र्माया ऐ अब्दुल्लाह ! इस गुनाह की काट इस तरह करो कि इस कलमा से रुजू कर लो और दोबारा अपने निकाह में वापस लाओ और अपने पास रखो, यहां तक कि उसका हैज़ खत्म हो जाये और उसके बाद दोबारा हैज़ हो जाये । तो अगर अब भी तुम्हारी मस्लहत तलाक़ देने का तक़ाजा करती हो, तो फिर ऐसी शक्ल में सोहबत करने से पहले तलाक़ दे दो और फिर आपने फ़र्माया कि तलाक़ इस्लामी क़ानून में इस तरीक़े से दी जाती है । —बुखारी व मुस्लिम

इस हदीस में आपके गुस्सा होने की बात कही गई है, इसमें दलील है इस बात की कि हैज़ की हालत में तलाक़ देना हराम है कि कहीं ऐसा न हो कि हैज़ की हालत में, जो आम तौर पर औरत से फ़ितरी नफ़रत होती है, उसकी वजह से तलाक़ दे दी और फ़ैसला बग़ैर सोचे-समझे कर लिया और हालांकि इस तलाक़ में कोई मस-लहत न हो । इसलिए तलाक़ की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हैज़ की हालत में न दी जाए । बल्कि इस हालत में दी जाए, १. तुहर, यानी

पाकी के जमाने में सिर्फ़ एक तलाक़ दे, बशर्ते कि इस तुहर में सोहबत न की हो और फिर उस औरत को छोड़ दे, यहां तक की उसकी इद्दत गुज़र जाए। इस तलाक़ को हसन कहते है। २. तीन तुहरों मे अलग-अलग तीन तलाक़ दे और इन तीनों महीनों में उससे सोहबत भी न करे और एकदम जाहिल लोगों की तरह, बिना सोचे-समझे एक दो-तीन कहना दुरुस्त नहीं। यही वजह है कि पहले तो जोश में आके कह देते हैं, फिर मौलवियों से फ़त्वे पूछते फिरते हैं, फिर ख़ुद भी बे-ईमान होते हैं और लालची मौलवियों को भी अपने साथ बे-ईमान बनाते हैं।

सब कुछ करने के बाद आँख खुली तो क्या खुली। कभी कहते हैं कि मौलवी साहब! मैंने तो नीयत नहीं की थी! कभी कहते हैं, मैंने तो गुस्से में कह दिया था। ग़रज़ यह कि हमारी शरीअत से लाइल्मी और जिहालत है। अगर शरीअत के मुताबिक़ तलाक़ देते, फिर क्यों परेशान होते। फ़ुक़हा ने तलाक़ की क़िस्म इस तौर पर की है।

१. तलाक़ रजई वह है कि एक बार या दो बार यह कहे, 'तुझे तलाक़ है या यह कहे कि तुझे एक तलाक़ या दो तलाक़। इस तरह तलाक़ देने से इद्दत के अन्दर-अन्दर बिना दूसरे निक़ाह के रुजू कर लेना जायज़ है यानी फिर दोबारा उसको बीवी बना सकता है, जैसे इतना कहना ज़रूरी है कि मैंने अब अपनी तलाक़ से रुजू कर लिया या बिना कुछ कहे अपनी औरत को इस नीयत से हाथ लगा लिया, उमसे सोहबत कर ली तो फिर वह आपकी बीवी बन गई और दूसरी बार निकाह करने की ज़रूरत पेश न आयेगी।

२. तलाक़ की दूसरी क़िस्म बाइन है। इसके लफ़्ज़ों को आप अपने यहाँ के किसी मुस्तनद (सनद पाए हुये) आलिम से मालूम कर लीजिए या 'बहिश्ती ज़ेवर' में देखिये। इस तलाक़ का मतलब यह होता है कि औरत निकाह से निकल जाती है। जब तक दोबारा

निकाह न करो,, वह औरत तुम्हारे निकाह मे नहीं आ सकती।

३. तीसरी क़िस्म तलाक़ मुग़ल्लज़ा है वह यह है कि एक बार में तीन तलाक़ दे दे या अलग-अलग करके तीन तलाक़ दे दे। इस तलाक़ के बाद निकाह करना दुरुस्त नहीं, जब तक कि हलाला न हो जाये यानी पहले तुम्हारी तलाक़ की इद्दत गुज़ारे, फिर किसी दूसरे आदमी से निकाह हो और वह उससे सोहबत करके उसको तलाक़ दे दे। अब इस तलाक़ की इद्दत गुज़ार कर दोबारा पहले मर्द के साथ निकाह हो सकता है ग़रज़ इस तलाक़ में बहुत बखेड़ा करना पड़ता है। ऐसा काम ही क्यों करे, जिससे हुज़ूर सल्ल० ने रोका। अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से कर लिया तो उसे भोगो। तलाक़ हर अक्ल वाले बालिग़ शौहर की ओर से हो जाता है, भले किसी की ज़बर्दस्ती से तलाक़ दे या नशे में या गूंगा हो और ख़ास इशारे के साथ तलाक़ दे और ना-बालिग़ लड़के और पागल की और सोने वाले की तरफ़ से तलाक़ नहीं पड़ती।

तीन तलाक़ें

८०. हज़रत महमूद इब्ने लबीद रज़ि० फ़र्माते हैं कि हुज़ूर सल्ल० को एक आदमी की ख़बर दी गई कि उसने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं आप इस ख़बर को सुनते ही ग़ुस्से की वजह से खड़े हो गये और फिर फ़र्माया कि क्या मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब के साथ खेल किया जाता है ? इस पर एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, 'क्या अल्लाह के रसूल, उसको

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلٰثَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ حَتّٰى قَامَ

कत्ल कर दूं ? —नसई

رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
اَلَا اَقْتُلُهٗ (رواه النسائی)

अल्लाह की किताब के साथ खेल किया जाता है यानी क़ुरआन में कहा गया है, तलाक़ दो बार है और तुम तीन तलाक़ें देते हो। पहले मालूम हो चुका, शरई तलाक़ यह है कि अलग-अलग वक़्तों में तीन तलाक़ें दी जायें, और एकदम न दी जाये। इसी वजह से हमारे इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक इकट्ठी तीन तलाक़ देनी हराम और बिद्अत है और अलग-अलग तलाक़ें अलग-अलग वक़्तों में देने का फ़ायदा यह है कि शायद तलाक़ देने के बाद शौहर का दिल बीवी की तरफ़ दोबारा झुक जाये और फिर वह रुजू कर सके क्योंकि कभी कभी ग़ुस्से में यह हरकत हो जाती है और बाद में होश आता है कि यह तूने ग़लत किया है इसलिए एक तलाक़ या दो तलाक़ के बाद मर्द को कोई अख़्तियार नहीं रहता, बल्कि अगर फिर चाहे तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखा आपने शरीअत के ख़िलाफ़ चलने में कितना नुक़्सान होता है, गुनाह भी किया और अपने हाथ से अख़्तियार भी जाता रहा। आज कल के शौहर इसकी परवाह नहीं करते या तो इस मसले के न जानने की वजह से या ग़ुस्सा में आकर अंधे हो जाने की वजह से या रिवाज पड़ जाने की वजह से कठिनाइयों में फँस जाते हैं। इसलिये हमेशा ख़्याल रखे कि अगर तलाक़ के बिना गुज़ारा और चारा न हो तो हमेशा तलाक़ सुन्नत के मुताबिक़ दीजिये।

—

तलाक़ अल्लाह को पसन्द नहीं

८१. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फ़र्माते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़र्माया हलाल चीज़ों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा ना-पसन्द तलाक़ है।

—अबू दाऊद

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَی اللّٰهِ الطَّلَاقُ۔

(رواہ ابو داؤد)

यानी अगर्चे बड़ी ज़रूरत के मौक़े पर उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ज़रूर है लेकिन फिर भी अल्लाह को यह काम पसन्द नहीं जैसे किसी की हड़पी ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से नमाज़ तो हो जाती है लेकिन अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा नहीं, ना-पसन्दीदा होती है।

८२. हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ि० फ़र्माते हैं कि मुझसे हुज़ूर पाक सल्ल० ने फ़र्माया, ऐ मुआज़! इस धरती पर अल्लाह को ग़ुलाम के आज़ाद करने से ज़्यादा कोई चीज़ पसन्दीदा नहीं और धरती पर सबसे ज़्यादा गन्दी और ना पसन्दीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक़ है

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَیْئًا عَلٰی وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنَ الْعَتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللّٰهُ شَیْئًا عَلٰی وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ۔

यानी बिना बड़ी ज़रूरत के तलाक़ देनी ख़ुदा को नापसन्द है और शेख़ इब्ने हिमाम रह० ने फ़त्हुल क़दीर में लिखा है कि कुछ औरतों को तलाक़ देना पसन्दीदा काम है यानी उस औरत को जो नमाज़ न पढ़ती हो और बदचलन हो और फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ में लिखा है कि अगर किसी की बीवी नमाज़ नहीं पढ़ती, तो उसको तलाक़ देना बेहतर है, चाहे उसके पास इसका मह्र अदा करने के लिए माल भी न हो।

अबू हफ़्स बुख़ारी रह० से नक़ल किया गया है कि अगर अल्लाह से उसका बन्दा इस हालत में मिले कि उस पर उसकी बीवी के महर का बोझ हो तो ऐसा आदमी अल्लाह के यहाँ उस आदमी से ज़्यादा महबूब है, जो ज़्यादा सोहबत करता हो, ऐसी बीवी से जो नमाज़ न पढ़ती हो। मतलब यह हुआ कि बेनमाज़ी औरत को तलाक़ देना सवाब है और अगर उसका महर अदा नहीं कर सकता तो कोई परवाह की बात नहीं।

बेनमाज़ी औरतों को इससे सबक़ लेना चाहिए। अगर मुसलमान शौहर इसके पाबन्द हो जायें तो हमारी औरतें और बच्चे सब नमाज़ी हों, लेकिन इसका किया जाये कि मर्द ख़ुद नमाज़ के पाबन्द नहीं होते। जो ख़ुद अंधा है, वह दूसरे को रास्ता कैसे दिखा सकता है। अफ़सोस कि हमने अपने दुनियावी फ़ायदे की वजह से तो ग़ुस्से में आकर नहीं तलाक़ दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसा अल्लाह का बन्दा नज़र नहीं पड़ता, जो नमाज़ न पढ़ने पर अल्लाह के लिए उसे तलाक़ दे।

बिना नीयत के तलाक़

८३. हज़रत अबूहुरैरह रज़ि० फ़र्माते हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने, तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनका इरादा हो, तब तो हो जाती हैं और अगर उनका इरादा न भी किया जाये, बल्कि मज़ाक़, तफ़रीह या हंसी की ग़रज़ से कहे, तब भी हो जाती है— १. निकाह, २. तलाक़, ३. तलाक़ देकर रुजू करना। तिर्मिज़ी

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ۔ (رواه الترمذي)

ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, उनका इरादा हो, तब भी और ने इरादा हो तब भी मुक़र्रर हो जाती हैं, जैसे दो मर्दों के सामने हंसी-हंसी में निकाह कर लिया, तो यह निकाह दुरुस्त हो जाएगा, इसी तरह अगर हंसी-हंसी में तलाक़ दे दी, तब भी तलाक़ पड़ जायेगी इसमें भी नीयत करनी ज़रूरी नहीं। इसी तरह बिना इरादा के तलाक़ रजई में रुजू करने से तलाक़ ख़त्म हो जायेगी और यह औरत दोबारा निकाह के बग़ैर उसकी हो जायेगी और बिना नीयत और इरादे के उसे बेचा ख़रीदा नहीं जा सकता।

८४. हज़रत अली रज़ि० फ़र्माते हैं कि हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया, क़लम उठाया गया तीन आदमियों से यानी उनकी कथनी-करनी एतबार के क़ाबिल नहीं और न वे क़ानून के पाबन्द हैं और न उनके अमल लिखे जाते हैं— (१) सोने वाला जब तक कि वह जाग न जाए, (२) बच्चा जब तक वह जवान और बालिग़ न हो जाये, (३) बे-अक़ल, जब तक कि वह समझदार न हो जाये। —तिर्मिज़ी

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتّٰى يَعْقِلَ۔

यानी जिस तरह इन पर और कामों की ज़िम्मेदारी नहीं, ऐसे ही इनके तलाक़ देने से तलाक़ भी नहीं पड़ेगा।

८५. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल० से सुना आप फ़र्माते थे कि ज़बर्दस्ती से न तलाक़ पड़ती है, और न ग़ुलाम को आज़ादी हासिल होती है। —अबू दाऊद

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِيْ إِغْلَاقٍ۔ (رواه ابوداؤد)

यानी अगर ज़बर्दस्ती किसी औरत को तलाक़ दिलवा दे उससे गुलाम को अज़ाद करादे तो उस सूरत में औरत को तलाक़ न होगी, यह इमाम शाफ़ई रह० का मजहब है। इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नजदीक ज़बर्दस्ती से तलाक़ हो जाती है।

बीवी पर बदगुमानी न करो

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِیًّا اَتٰی رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ امْرَأَتِیْ وَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ وَاِنِّیْ اَنْکَرْتُهٗ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَّكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِیْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ اِنَّ فِیْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰی تَرٰی ذٰلِكَ جَاءَهَا قَالَ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ فَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهٗ وَلَمْ یُرَخِّصْ لَهٗ فِی الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ ۔ (بخاری و مسلم)

८६. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़र्माते हैं कि एक देहाती हुज़ूर सल्ल० की ख़िद्मत में हाजिर हो कर कहने लगा कि मेरी बीवी को बच्चा हुआ है, लेकिन वह काला है इसलिए मैंने उसके बारे में यह कह दिया कि जब तक मेरी शक्ल का और मेरे रंग का नहीं, तो यह मेरा नहीं, बल्कि इसका बाप कोई और है, जिसकी शक्ल पर यह पैदा हुआ। इस पर हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया कि तुम्हारे पास ऊँट भी है? उसने जवाब दिया, जी हाँ। आपने फिर फ़र्माया उनके क्या रंग हैं? उसने कहा, लाल। आपने फ़र्माया उनमें कोई भूरे रंग का भी है? उसने कहा कि है, आपने फिर फ़र्माया यह रंग कहाँ से आया? हालाँकि माँ-बाप इस रंग के नहीं। इस पर उस देहाती ने कहा कि इनकी नस्ल में कोई ऊँट इस रंग का होगा, जिससे यह मिलता होगा। आपने यह

जवाब सुनकर फ़र्माया तो शायद इस लड़के की असल में भी कोई बाप दादाओं में काला होगा जिस पर यह लड़का गया हो और हुज़ूर सल्ल० ने उस बद्दू को अपने से इन्कार करने की इजाज़त नहीं दी।

—बुख़ारी व मुस्लिम

इस हदीस से मालूम हुआ कि कमज़ोर निशानियों से अपने लड़के को अपना न कहना और बीवी पर बद-गुमानी करना जायज़ नहीं, जब तक कि उसकी मज़बूत दलीलें न मिल जायें, जैसे बीवी से सोहबत तो की नहीं और बच्चा पैदा हो गया। इसी तरह शादी के बाद छः महीने से पहले बच्चा पैदा हो गया, तो इस सूरत में कह सकते हैं कि यह बच्चा हरामी है और तू कहां से ले आई और उस वक़्त यह बच्चा उसके माल का वारिस भी न होगा।

नस्ल बदलना कुफ़्र है

८७. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, जिसने मुंह मोड़ा अपने बाप-दादा से, तो उसने क़ाफ़िर का काम किया और कुफ़्र किया।

—बुख़ारी व मुस्लिम

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِکُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِیْهِ فَقَدْ کَفَرَ۔

(بخاری و مسلم)

यानी नाशुक्री की, इसलिए तुम अपने बाप-दादाओ ही की तरह अपनी निस्बत किया करो।

८८. हज़रत सईद इब्न अबीवक़्क़ास रज़ि० रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, जिसने अपनी ज़ात बदल दी, हालांकि उसको इल्म है कि यह मेरी ज़ात नहीं, तो जन्नत उस पर हराम है।

—बुख़ारी व मुस्लिम

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ۔ (بخاری ومسلم)

अज कल ज़ात बदलनी फ़ैशन में दाख़िल हो गया। कोई अपने आपको सैयद कहने लगा, कोई अन्सारी, कोई क़ुरैशी, कोई अब्बासी बन गया। यह चीज़ हराम है और अगर इस चीज़ को जानते-बूझते ऐसा किया, तो हराम को हलाल समझना कुफ़्र है। इसलिए हुज़ूर ने कुफ़्र लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़र्माया है और इससे होता ही क्या है सिवाए धोखा देकर दुनिया की शान पैदा करने की कोशिश करना, वर्ना अल्लाह के यहां तो ज़ात की पूछ नहीं, वहां तो परहेज़गारी का सवाल होगा उसी के मुताबिक़ इज़्ज़त व ज़िल्लत होगी।

जन्नत में न जाने वाले मर्द-औरत

८९. हज़रत अबूहुरैरह रज़ि० फ़र्माते हैं कि जिस वक़्त आयते मुलाअनः नाज़िल हुई, उस वक़्त हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया कि जिस औरत ने ज़िना करके जो उससे बच्चा पैदा हुआ, उसको अपने शौहर की तरफ़ लगा दिया, वह औरत अल्लाह की रहमत से महरूम है

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ

लَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ
فِيْ شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللّٰهُ
جَنَّتَهٗ وَاَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهٗ
وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ احْتَجَبَ اللّٰهُ
مِنْهُ وَفَضَحَهٗ عَلٰى رُؤُسِ
الْخَلَائِقِ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

(رواه ابوداؤد والنسائی)

और ऐसी औरत का जन्नत में जाना हराम है यानी हरगिज़ ऐसी औरत जन्नत में न जायेगी। इसी तरह तोह-मर्द, जो अपने लड़के की निस्बत से इन्कार करे और अपनी औरत पर तुह-मत बांधे, उसको खुदा का दीदार नसीब न होगा और क़ियामत के दिन खुदा तमाम लोगों के सामने उसको रुसवा व ज़लील करेगा।

—अबू दाऊद व नसई

हासिल यह हुआ, न औरत को चाहिये कि वह बदकारी करके हरामी बच्चे को अपने शौहर के सिर थोपे और न मर्द को चाहिये कि वह खामख़ाह अपनी औरत पर ज़िना की तोहमत लगाये। इस धमकी में वे माँ-बाप भी आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी ज़ात बदल दी है। पहले कुछ और थे, अब कुछ और कहलाने लगे। अब औलाद की खता क्या है? वह तो बेचारी वही कहेगी, जो अपनी माँ-बाप से सुनती चली आये। इसलिये ज़ात वग़ैरह के मामले में बहुत एहति-यात करनी चाहिए और जो अपनी ज़ात है, उस पर क़ायम रहना चाहिए और आप समझते हैं कि आखिर में ये ज़ातें क्यों तब्दील करने की ज़रूरत पेश आयी? वजह इसकी यह हुयी कि लोग अपने ख्याल में अपनी ज़ात को अच्छा और अपने को इज़्ज़तदार और अपनी ज़ात को ऊँची औरों की ज़ात को नीची और ज़लील समझने लगे, जो इस्लामी नज़रिये के बिल्कुल खिलाफ़ थी, क्योंकि आदम की औलाद सब बराबर है, चाहे उसमें कोई ग़रीब हो, चाहे उसमें कोई रईस। एक शेर है—

'आदमी-आदमी सब बराबर हैं। क्योंकि उसकी मां हज़रत हव्वा हैं और उनके बाप हज़रत आदम अलै० हैं, फिर बड़ाई काहे की और

मेरे ख़्याल से इन ज़ात बदलने वालों का गुनाह भी ऐसे ही नासमझ लोगों पर होगा, जो अपनी ज़ात को ऊँची और अपनी जात के अलावा को नीची समझते हैं।

९०. हज़रत जाबिर इब्ने अतीक रज़ि० फ़र्माते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, कुछ ग़ैरत तो ऐसी हैं, जिन्हें अल्लाह पसंद करता है और कुछ ग़ैरत ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ना-पसन्द करता है, तो वह पसन्दीदा ग़ैरत है, जो शक के बारे में हो, जैसे बीवी अजनबी मर्दों के सामने आती हो या अजनबी मर्द उसके पास बेतकल्लुफ़ आते-जाते हों और उससे उनकी हंसी मज़ाक़ और छेड़-छाड़ होती हो और वह ग़ैरत जो ख़ुदा को ना-पसन्द हैं, वह ग़ैरत है जो सिर्फ़ बद-गुमानी की वजह है और उसका यक़ीन न हो, जैसे ख़्वामख़ाह अपनी बीवी पर शक करना कि उससे जो बोली उसका यह मतलब और इससे जो हंसकर बातें की, उससे यह मन्शा था, ऐसा करना ठीक नहीं। इसी तरह घमन्ड की भी दो शक्लें हैं एक वह, जो अल्लाह को पसन्द है और एक वह, जो अल्लाह को नापसन्द है। तो वह घमन्ड जो अल्लाह को पसन्द है, वह घमन्ड है जो काफ़िरों से जिहाद करने में अप-नाया जाए ताकि काफ़िरों की ताक़त

عن جابر بن عتيك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فاما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة واما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وان من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فاما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة واما التي يبغض الله فاختياله في الفخر۔

(رواه احمد وابو داود والنسائي)

मालूम हो जाए और बहादुरी और हिम्मत का बखान करे और उनको हक़ीर व ज़लील करे। इस तरह ख़ैरात में घमन्ड करना भी अल्लाह को पसंदीदा है।

यानी बहुत देने को थोड़ा समझे और यह कहे कि मैं देता तो बहुत, लेकिन इस वक़्त मजबूरी है और बड़े अच्छे तरीक़े से दे, जैसे कि इतनी बड़ी रक़म देने में उसको परवाह ही नहीं और घमन्ड करे नस्ल में, यह अल्लाह को ना-पसन्द है कि मैं ही शरीफ़ और बढ़िया ज़ात वाला हूं मेरे मुक़ाबले में किसी की ज़ात नहीं, यह बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि बड़ाई तक़वा और परहेज़गारी पर है और नस्ली घमन्ड अक्सर दीनदारों तक में देखा गया, इससे तौबा करनी चाहिए और अपने आपको हर आदमी से ज़्यादा ज़लील समझे। यही चीज़ कामयाबी तक पहुंचने वाली है, क्योंकि अगर आपको अपनी निजात का सार्टिफिकेट अल्लाह के यहाँ से मिल गया तब तो आप बड़ाई कर सकते हैं, वर्ना औरों को नीच ज़ात और गंवार कहना दुरुस्त नहीं तुमको क्या ख़बर, मरने के बाद तुम कहाँ होगे और वह कहाँ।

—अहमद, अबूदाऊद, नसई

शौहर की चोरी

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ

९१. हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं, हिंदा, अमीर मुआविया रज़ि० की माँ० हुज़ूर सल्ल० की ख़िद्मत में हाज़िर हुई और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! अबू सुफ़ियान, मेरा शौहर कंजूस है, वह मेरे गुज़ारे के मुताबिक़ नहीं देता। हाँ मैं ऐसा करती

إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

بخاری ومسلم

हूं कि चुपके से उसके माल में से ईमानदारी के साथ अपने गुज़ारे के मुताबिक़ ले लेती हूं। यह काम जायज़ है या नहीं। आपने फ़र्माया दयानतदारी के साथ इतना निकाल लेना जो तुझे और तेरे बच्चों को काफ़ी हो जाए, जायज़ है।

—बुख़ारी व मुस्लिम

इस हदीस से मालूम हुआ कि गुज़ारा के मुताबिक़ नान-नफ़क़ा औ ख़र्च मर्द के ज़िम्मे वाजबि है और नान-नफ़क़ा से मुराद खाना कपड़ा और मकान है और बीवी का नफ़क़ा उसके शौहर पर वाजिब है अगर्चे वह शौहर छोटा हो, बशर्ते कि उस बीवी ने अपने को शौहर के सुपुर्द कर दिया हो और बीवी का रहना-सहना भी शौहर के मकान में हो. या वह ख़ुद को शौहर के सुपुर्द इसलिए नहीं करती कि उसका हक़ शौहर के ज़िम्मे है, तब भी उसका नफ़क़ा ज़रूरी है, या वह अपने मां-बाप के यहां रहती है और शौहर उसको बुलाता है, तब भी उसका नफ़क़ा ज़रूरी है और हर महीने का नान-नफ़क़ा मुक़र्रर कर दिया जाये और हर माह का ख़र्च उसके हवाले कर दिया जाए और छः महीने का कपड़ा मुक़र्रर कर लिया जाए, जो उस औरत के लिए काफ़ी हो सके, इस तरह कि न तो उसमें फ़िज़ूलख़र्ची हो और तंगी न हो। नफ़क़ा के लिए दोनों की हालत का एतबार किया जाएगा, जैसे दोनों मालदार हैं तो नफ़क़ा मालदारों जैसा होगा। और अगर दोनों ग़रीब हों तो उनकी हैसियत के मुताबिक़ होगा जिसमें आपस में रज़ामन्दी हो। अगर बीवी ग़रीब घर की है और शौहर मालदार है या बीवी तो मालदार है और शौहर ग़रीब है, तो इस शक्ल में शौहर का एतबार होगा, अगर वह मालदार है बीवी को अपनी हैसियत के मुताबिक़ दे और अगर ग़रीब हो तो बीवी को

उसकी हैसियत के मुताबिक़ दे।

जैसे :—

१. अगर मियां-बीवी में नफ़क़े के बारे में इख़्तिलाफ़ है, बीवी कहे कि तू मालदार है, इसलिए ख़र्च बढ़ा और शौहर कहे कि नहीं मैं तो ग़रीब हूं, तो इस शक्ल में शौहर की बात मानी जायेगी। हाँ अगर बीवी गवाह पेश कर दे तो बीवी के गवाहों का एतबार किया जायेगा और उसका ख़र्चा ज़्यादा कराया जायेगा। और अगर शौहर मालदार है, तो बीवी के वास्ते एक नौकरानी का ख़र्चा भी ज़रूरी है और अगर शौहर ग़रीब है तो इस सूरत में नौकरानी का ख़र्चा उस पर ज़रूरी नहीं।

२. जब बीवी का ख़र्चा मुक़र्रर किया गया, उस वक़्त शौहर मालदार था और अब वह ग़रीब हो गया इसी तरह पहले ग़रीब था, अब मालदार हो गया और बीवी मांग करती है कि तरक़्क़ी की जाये, तो इस सूरत में दोनों की रियायत रखी जायेगी यानी अगर मर्द पहले मालदार था तो अब बीवी के नफ़क़ा में कमी होगी और उसे घटा दिया जायेगा और अगर पहले फ़क़ीर था, अब मालदार हो गया, तो इस सूरत में बीवी के माहवार ख़र्च में तरक़्क़ी कर दी जाएगी।

३. अग बीवी बिना शौहर की मरज़ी के ख़िलाफ़ अपने माँ-बाप के यहां जाकर बैठ गई, तो इस शक्ल में मर्द के ज़िम्मे उसका नफ़क़ा नहीं। इस तरह औरत को बीमारी की वजह से उसके मां-बाप ने रुख़्सत न किया, तब उसका नफ़क़ा मर्द के ज़िम्मे नहीं और फ़क़ीरों पर यानी तंगदस्त पर किसी का नफ़क़ा वाजिब नहीं, न माँ-बाप का, न भाई बहन का, मगर बीवी और औलाद का नफ़क़ा बहरहाल उसके ज़िम्मे ज़रूरी है।

९२. हज़रत जाबिर इब्न समुरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, जब अल्लाह तुमको माल दे,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

तो पहले अपने ऊपर और अपनी बीवी-बच्चों पर ख़र्च करो, अगर वहाँ से बचे तो औरों को दो। —मुस्लिम

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ - (رواه مسلم)

बीवी का खाना-कपड़ा

९३. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ने ममलूक (जिन लोगों का दूसरा मालिक हो) के लिए उसके मालिक के ज़िम्मे खाना खिलाना, कपड़ा देना और उससे उतना ही काम लेना है, जिसकी इसमें ताक़त हो।
—मुस्लिम

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ (رواه مسلم)

हासिल यह है कि ऐसा करने को कहे कि उसकी तन्दुरुस्ती को नुक़सान पहुंचाएगा। सोचो तो कि सच्चा मालिक अपने बन्दों पर उतना ही बोझ डालता है, जितना कि उनमें ताक़त होती है, पर बन्दों को, जो दुनिया में 'मालिक' होते हैं, यही तरीक़ा अपनाना चाहिए, यह नहीं कि तमाम रात टांगें दबवाये चले जा रहे हैं, तमाम दिन मेहनत व तकलीफ़ में डाल रखा है, न उनके दिन के आराम का ख़्याल और न रात की नींद का ख़्याल और जब अपने ग़ुलाम पर जो सच में मिल्क होते हैं, उन पर ज़्यादा बोझ रखने से मना किया गया है, तो औरत को जिसके, सच में हम मालिक भी नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ के मालिक हैं उसे हर तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हद तक कि उसकी तन्दुरुस्ती न ख़राब हों जाए। इसी तरह औरत

का खाना खिलाते हुए भी उठाना जायज़ नहीं कि जाओ पानी लाओ, यह काम करो, सालन लाओ हाँ, अगर यह काम खुद ही अपनी राज़ी-खुशी से करती है तो कोई हरज नहीं।

बे-वक़्त खाना देने से मना किया गया

عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عَمْرٍوؓ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ کَفٰی بِالرَّجُلِ اِثْمًا اَنْ یَّحْبِسَ عَمَّنْ یَّمْلِکُ قُوْتَہٗ وَفِیْ رِوَایَۃٍ کَفٰی بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ یُّضَیِّعَ مَنْ یَّقُوْتُ۔

९४. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ि० फ़र्माते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़र्माया कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए यह बात बाक़ी है, जो अपनी बीवी-बच्चों और ग़ुलाम से उनका खाना रोक ले। दूसरी रिवायत में यह है कि इन्सान के गुनहगार होने के लिए काफ़ी है कि जिनका खाना उसके ज़िम्मे है, उसको बर्बाद कर दे। (رواہ مسلم)

मेरे ख़्याल में इस हदीस के तहत वे शौहर भी आ जाते हैं, जो अपनी बीवियों को पाबन्द करते हैं कि जब तक हम न आयें, तुम खाना न खाओ और शौहर साहब तो कई घंटे बाद आते हैं और कभी पूरे दिन ग़ायब रहते हैं, इसलिए बीवियों को इस मामले में आज़ादी होनी चाहिए कि जब तुमको भूख लगे, खाना खा लो, हमारा इन्तज़ार न करो।

मारने की सज़ा

عَنْ اَبِیْ مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِیِّ قَالَ کُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا

९५. हज़रत अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि० फ़र्माते हैं कि मैं एक दिन अपने

ग़ुलाम को मार रहा था, अचानक अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी, ख़बरदार ! ऐ अबू मस्ऊद ! ख़ुदा तेरे मुक़ाबले में तुझ पर ज़्यादा क़ुदरत रखता है। यह आवाज़ सुनकर मैंने पीछे मुड़ कर देखा। अचानक देखती हूं कि हुज़ूर सल्ल० तशरीफ़ रखते हैं, मैंने आप को देखते ही कहा, हुज़ूर, यह ग़ुलाम अल्लाह के वास्ते आज़ाद है इस पर आपने फ़र्माया, अगर तू ऐसा न करता तो जहन्नम में चला जाता।

—मुस्लिम

لِيْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتًا
اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ لَلّٰهُ اَقْدَرُ
عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ
فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ
اللّٰهِ فَقَالَ اَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ
لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ
النَّارُ . (رواه مسلم)

इस हदीस को नज़र में रख क हमारे मुसलमान भाई अच्छी तरह अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि जब ग़ुलाम के बारे में यह धमकी व डरावा है तो औरत के मारने वाले का क्या अंजाम होगा, हालांकि वे ग़ुलाम की तरह किसी की मिल्क नहीं।

नमाज़ी को न मारो

९६. हज़रत अबू उमामा रज़ि० फ़र्माते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने हज़रत अली रज़ि० को एक ग़ुलाम दिया और देते वक़्त यह फ़र्माया कि ऐ अली ! इस ग़ुलाम को न मारना, क्यों कि मुझको अल्लाह की तरफ़ से नमाज़ पढ़ने वालों को मारने से मना किया गया है।

—मिश्कात

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ لَا
تَضْرِبْهُ فَاِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ
اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَقَدْ رَاَيْتُهُ
يُصَلِّيْ (مشكوٰة)

९७. हज़रत उमर रज़ि० फ़र्माते हैं कि हुज़ूर सल्ल० ने नमाज़ी मर्द और नमाज़ी औरतों के मारने से मना फ़र्माया है। —मिश्कात

وَفِي الْمُجْتَبَى اَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ (مشكوٰة)

और यह रोक नमाज़ो की शराफ़त और उसकी इज़्ज़त की वजह से है कि वे अल्लाह के नज़दीक शरीफ़ हैं, इसलिए तुम भी उनकी इज़्ज़त करो। इस हदीस से मा म होता है कि जब अल्लाह ने यहां पर नमाज़ी को, चाहे वह मर्द हो या औरत, मारने से मना किया है, तो पूरी उम्मीद है कि आख़िरत में भी इन्शाअल्लाह नमाज़ी हर क़िस्म की मार-पीट से महफ़ूज़ रहेगा।

सत्तर बार माफ करो

९८. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ि० फ़र्माते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्ल० की ख़िद्मत में हाज़िर हुए और पूछने लगे, हुज़ूर! यह तो बतलाइये कि हम अपने नौकरों के क़ुसूर कितनी बार माफ़ करें। इस पर आप चुप रहे, दुबारा फिर पूछा. आप ख़ामोश रहे। तीसरी बार फिर पूछा, इस पर आपने फ़र्माया, इसकी ख़ताएँ हर दिन में सत्तर बार माफ़ करो और आपका दोबारा ख़ामोश रहना वह्य के इन्तज़ार में था। जब वह्य आ गयी तो आपने

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ اُعْفُوْا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

इर्शाद फ़र्माया कि सत्तर बार माफ़ करो। (رواہ ابوداؤد)

—अबू दाऊद

देखा आपने हममें कोई है ऐसा कि रोज़ाना इतनी बार माफ़ करे।

ताक़त भर काम

عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً (رواہ ابوداؤد)

९९. हज़रत सह्ल फ़र्माते हैं कि हुज़ूर का एक ऊँट पर गुज़र हुआ, जिस की यह हालत हो गई थी कि उसकी कमर उसके पेट से लग गई थी, यानी उसके ऊपर बोझ ज़्यादा लादा जाता था या उसको अच्छी तरह खाने को नहीं मिलता था। इस पर आपने इर्शाद फ़र्माया, ऐ लोगो! डरो अल्लाह से उन बे-ज़बान जानवरों के मामले में, पस उन पर सवारी करो, जबकि वे इसकी ताक़त रखते हों और थकने से पहले उन से काम लेना छोड़ दो।

—अबू दाऊद शरीफ़

पस जानवरों पर इतना बोझ न रखना चाहिए, जिनकी उनमें बर्दाश्त न हो और न उन पर ज़्यादा सवारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे अपना हाल अपनी ज़बान से नहीं कह सकते और इनको ज़्यादा भगाने से भी रोका गया है और जब जनवरों की रियायत ज़रूरी है, जो इस लिए बनाये गये हैं, तो ग़रीब औरतों पर सख़्ती और ज़्यादा काम डालना कौन सी अक़्लमन्दी है।

बच्चों का हक़दार कौन ?

१००. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ि० फ़र्माते हैं कि एक औरत अल्लाह के रसूल सल्ल० की ख़िद्मत में हाज़िर होकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल ! यह मेरा बच्चा एक मुद्दत से मेरे पेट में रहा और मुद्दत तक मेरा दूध पीता रहा और एक ज़माने तक मेरी गोद में पलता रहा। अब उसके बाप ने तलाक़ दे दी और वह मेरे बच्चे को मुझ से छीन लेने का इरादा रखता है। इस पर आपने इरशाद फ़र्माया जब तक तू दूसरा निकाह न कर ले तो उसको अपने पास रख। तू अपने बच्चे की परवरिश की ज़्यादा हक़दार है।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهٗ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهٗ سِقَاءً وَّ حِجْرِيْ لَهٗ حِوَاءً وَّاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَاَرَادَ اَنْ يَّنْزِعَهٗ مِنِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتِ اَحَقُّ بِهٖ مَالَمْ تَنْكِحِيْ ۔

(رواہ احمد و ابوداؤد)

१०१. हज़रत अबूहुरैरह कहते हैं कि एक औरत हुज़ूर सल्ल० की ख़िद्मत में हाज़िर होकर कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ दे दी अब उसका बाप यह चाहता है कि मेरे बच्चे को मुझ से ले जाकर अपने पास रखे और इस वक़्त यही मुझको कमा कर खिलाता है और मेरे खाने-पीने की खबरगीरी करता है इस पर आपने उस

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ سَقَانِيْ وَنَفَعَنِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

बच्चे की तरफ़ रुख करके कहा, यह तेरा बाप है और यह तेरी माँ अब तुझ को अख़्तियार है चाहे अपनी माँ के पास रहे या अपने बाप के पास। तो बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और माँ ख़ुशी-ख़ुशी अपने बच्चे को अपने साथ ले गयी।

وَسَلَّمَ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهٖ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهٖ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ - (رواه ابو داؤد والنسائی والدارمی)

—नसई, अबू दाऊद, दारमी

१०२. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि० फ़र्माते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल० से ख़ुद सुना, आप फ़र्माते थे, जिस आदमी ने माँ और उसके बच्चे के दर्मियान जुदाई डाली, अल्लाह क़ियामत के दिन उसमें और उसके ताल्लुक़ वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों में जुदाई पैदा कर देंगे।

عَنْ اَبِیْ اَیُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ وَالِدَۃٍ وَّوَلَدِھَا فَرَّقَ اللّٰہُ بَیْنَہٗ وَبَیْنَ اَحِبَّتِہٖ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ (رواہ الترمذی)

इसलिए अगर ख़ुदा न करे, बीवी से झगड़ा हो जाये, तो उसके बच्चे की परवरिश अगर वह ख़ुशी से करे, तो ज़बरदस्ती उससे बच्चे को छीनना न चाहिए।

नेक औरत और ख़ूबियाँ

१. पहली ख़ूबी पारसाई और दीनदारी है और सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी यही है, क्योंकि अगर औरत दीनदार पारसा न होगी, तो शौहर के माल में ख़ियानत करेगी और इसकी वजह से उसके शौहर को परेशानी होगी। अगर अपनी अमानत में ख़ियानत

करेगी और उस पर शौहर खामोश होगा तो उसकी आबरू और दीन को नुक्सान पहुंचेगा और लोगों में रुसवा व ज़लील होगा। और अगर शौहर खामोश नहीं रहता तो उसका ऐश व आराम खाक में मिल जायेगा और उसकी ज़िन्दगी खराब हो जायेगी। अगर उसको तलाक़ देता है तो उस वक़्त सरासर नुक्सान ही नुक्सान है, आखिर उसका साथ तो याद आयेगा ही। इस लिए इन वजहों पर नज़र करते हुए निकाह से पहले ही औरत की दीनदारी मालूम कर ले न अन्धे को 'न्योतोगे' न दो आयेंगे। न बद-दीन से निकाह करोगे न खराबियां पैदा होंगी।

चाहे बद-दीन औरत, कितनी ही खूबसूरत, हसीन हो, अगर वह शौहर के ऊपर एक वबाल और अज़माइश है तो ऐसी बीवी को तलाक़ देनी बेहतर है, हां अगर उसके साथ दिल लगा हुआ हो, तो तलाक़ न दे।

एक साहब हुज़ूर सल्ल० की खिद्‌मत में हाज़िर होकर अपनी बीवी की शिकायत करने लगे कि उसका चाल-चलन ठीक नहीं। हुज़ूर सल्ल० नें फ़र्माया, उसको तलाक़ दे दो। उन्होंने कहा, हुज़ूर ! मुझे उस औरत से बेहद मुहब्बत है, तलाक़ कैसे देदूं। तू उसको अपने पास रख तलाक़ न दे, क्योंकि अगर तूने उसे तलाक़ दे दी, तो तू भी उसके पीछे फ़ितने नें पड़ जायेगा।

दूसरी जगह कहा गया है जो आदमी माल या खूबसूरती की वजह से निकाह करता है, वह दोनों से महरूम रहेगा और जो दीन-दारी की वजह से करता है, तो उसको माल भी मिलेगा और जमाल भी मिलेगा।

२. दूसरी खूबी यह है कि उसकी आदत तबीयत अच्छी हो, अच्छे अख्लाक़ वाली और हंसमुख हो, क्योंकि बुरी तबीयत वाली और नाशुक्री, गुस्ताख होती हैं और बात-बात पर बिगड़ बैठती है और बुरा-भला कहना शुरू कर देती है और फ़र्माइशों से मर्द का जीना

दूभर कर देती है और उसका जीना दूभर ही नहीं उसके दीन तक को ख़राब कर डालती है।

३. औरत की तीसरी ख़ूबी यह है कि वह ख़ूबसूरत और हसीन हो क्योंकि औरत जितनी हसीन होगी, मर्द को उतनी ही उसके साथ मुहब्बत होगी और यही वजह है कि निकाह से पहले औरत को देखना सुन्नत है। इमाम ग़ज़ाली रह० ने 'कीमियाए सआदत' में एक हदीस नक़ल की है कि जो निकाह बिना देखे होता है, उसका अंजाम शर्मिन्दगी और रंज व ग़म होता ह। और यह जो हदीस में आया है कि औरत से निकाह दीन की वजह से करना चाहिए ख़ूबसूरती की वजह से नहीं। इसका मतलब यह है कि औरत की सिर्फ़ ख़ूबसूरती पर नज़र न होनी चाहिए, बल्कि ख़ूबसूरती के साथ और चीज़ भी देखनी चाहिए और जिस आदमी का निकाह से सिर्फ़ यही मतलब हो कि औलाद पैदा हो, चाहे वह औरत हब्शी ही हो, यह उसकी परहेज़गारी है।

४. चौथी ख़ूबी यह है कि उसका मह्र कम हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया कि औरतों में वह औरत बहुत अच्छी है जिसका मह्र बहुत कम हो और ख़ूबसूरती में बढ़ी हुई भी हो, यानी बावजूद ख़ूबसूरती के उसका मह्र कम हो।

५. पाँचवीं ख़ूबी यह है कि वह बाँझ न हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया कि पुरानी चीज़ जो घर के कोने में पड़ी हुई हो, वह बाँझ औरत से ज़्यादा से बेहतर है।

६. ख़ूबी यह है कि औरत नव-जवान और कुंवारी हो, क्योंकि ऐसी औरत से शौहर को ज़्यादा मुहब्बत होगी और जो औरत बेवा और तलाक़ पाई हुई होगी, ऐसी औरत का दिल अक्सर अपने पहले शौहर ही की ओर लगा रहेगा। बात-बात पर उसकी याद उसको सतायेगी।

हज़रत जाबिर रज़ि० ने एक बेवा औरत से निकाह कर लिया था, तो हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया कि ऐ जाबिर! तूने कुंवारी से निकाह क्यों न किया कि वह तेरे साथ खेलती और तू उसके साथ खेलता।

७. सातवीं ख़ूबी यह है कि वह औरत अच्छे और दीनदार ख़ानदान की हो, क्योंकि बद-दीन घराने की औरत के अख़्लाक़ और उसकी आदतें और चाल-चलन अच्छी नहीं होती और ऐसी औरत से नव्वे फ़ीसदी यही उम्मीद करनी चाहिए कि उसके अख़्लाक़ उसकी औलाद में भी असर करेंगी।

८. आठवीं ख़ूबी यह है कि औरत अपने ख़ानदान वालों और रिश्तेदारों में से न हो कि ऐसी औरत से औलाद कमज़ोर होती है। इमाम ग़ज़ाली रह० इस हदीस को नक़ल करके लिखते हैं, शायद इसकी वजह यह हो कि अपने ख़ानदान की औरतों के हक़ में शहवत बहुत कमज़ोर होती है और इसलिए औलाद कमज़ोर पैदा होती है। औरतों की ये आठ ख़ूबियाँ हैं जो उनमें देखनी चाहिए।

लड़की के मां-बाप को चाहिए कि लड़की की भलाई का ख़्याल रखें और उसके लिए ऐसे शौहर की तलाश करें जो लायक़ दीनदार हो और बुरे अख़्लाक़, बुरी तबियत, बुरी शक्ल और ऐसे ग़रीब से जो अपनी बीवी का नान-नफ़्क़ा न दे सके और बद-दीन जैसे शराबी, चोर और बद-चलन से अपनी लड़की का निकाह करना दुरुस्त नहीं। हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया कि जिसने अपनी लड़की का निकाह फ़ासिक़ और बद-दीन से कर दिया तो उसका रिश्ता कट जायेगा और फ़र्माया नबी सल्ल० ने कि यह निकाह लौंडी बनाता है। तुझे ख़्याल होना चाहिए कि मैं अपनी लड़की को किस की लौंडी बनाता हूं।